राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान · नगरीय निकाय आम चुनाव 2026

पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र
नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 — संवर्धित संस्करण

मूल DLMT पुस्तिका के 40 पृष्ठ + परियोजना-सत्यापित टिप्पणियाँ, सुधार एवं छूटे हुए प्रपत्र

- मतदान: 09 एवं 11 सितम्बर 2026 · मतदान समय प्रातः 7:00 – सायं 6:00
- EVM: ECIL MPSV (END बटन मास्क्ड) · एकल सदस्य पद
- मूल पुस्तिका: मनीष कुमार गोयल, SLMT-जयपुर
- संवर्धन-आधार: मार्गदर्शिका · राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 · आयोग के आदेश

*प्रशिक्षक हेतु: यह संस्करण मूल पृष्ठों को हटाता नहीं — उन्हें ज्यों का त्यों रखकर उनके पास निर्देश-पैनल जोड़ता है। जहाँ नमूने में दोष है वहाँ 'सुधार' का बिल्ला लगा है; ऐसे पृष्ठ कक्षा में *अभ्यास* के रूप में उपयोग करें, हटाएँ नहीं।*

01

इस पुस्तिका को कैसे पढ़ें

अनुक्रमणिका · प्ररूप बनाम परिशिष्ट · इस संस्करण में क्या जोड़ा गया

इस संवर्धित संस्करण में क्या जोड़ा गया है

नया

सुधार-बिल्ला

जिस पृष्ठ के नमूने में सत्यापित दोष है, वहाँ 'इस नमूने में दोष' का पैनल है — क्या छपा है, क्यों गलत है, सही क्या है।

नया-बिल्ला

मूल पुस्तिका में जो लूप खुला रह गया — लिफाफा-चार्ट, तीन काउंटर, मिलान-तालिका, परिशिष्ट-19 — उसके लिए डाली गई स्लाइडें।

पूरक-बिल्ला

पृष्ठ सही है, पर भरने का विवरण अधूरा था — वही जोड़ा गया।

तीन नियम जो पूरे संस्करण पर लागू हैं

1. पुस्तिका के सभी अंक काल्पनिक हैं — कोई भी अंक कक्षा में 'सही उत्तर' के रूप में न दोहराएँ।
2. विहित प्रपत्र पर स्वयं काट-छाँट कभी न करें — पुराने विधिक उद्धरण मौखिक रूप से सुधारें।
3. जहाँ परियोजना ने उत्तर सत्यापित नहीं किया, वहाँ 'अपुष्ट' लिखा है — कक्षा में अनुमान न लगाएँ।

स्रोत: परियोजना-दस्तावेज़: DLMT_CORRECTION_SHEET_hi.md (21–23.08.2026), notes_forms.md

अनुक्रमणिका — 27 मदें, पर तीन प्रपत्रों के पृष्ठ ही नहीं

सुधार

नगरीय निकाय चुनाव 2026 | राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

क्रम संख्या	नियम	प्रारूप	उपयोग हेतु
1	नियम – 26 (3)	प्ररूप – 9	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति
2	नियम – 26(5)	प्ररूप – 10	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण
3	नियम – 28 (2)/38क(2) एवं 78	प्ररूप – 12	दृष्टिहीन और शिथिलांग निर्वाचकों की सूची
4	नियम – 43 एवं 78	प्ररूप – 13	चुनौती मतों की सूची (Challanged Vote)
5	नियम – 35 क एवं 78	प्ररूप–14 क	मतदाताओं का रजिस्टर
6	नियम –44 क एवं 78	प्ररूप – 14 ख	निविदत्त मतों (Tender Votes) की सूची
7	नियम –49ग और 63क(2)	प्ररूप – 14 ग	रिकार्ड किये गये मतों का लेखा
8	नियम 46	प्ररूप – 15	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन
9	नियम – 46 क(4) और 78	प्ररूप – 15 क	डाक मतपत्र के लिए आवेदन
10	नियम 46	प्ररूप – 16	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र
11	नियम – 46 क(4)(क) एवं 78	प्ररूप – 16 क	निर्वाचक द्वारा घोषणा
12	नियम – 46क(4)(ख) एवं 78	प्ररूप – 16 ख	(लिफाफा – क)
13	नियम – 46क(4)(ग) और 78	प्ररूप – 16 ग	(लिफाफा – ख)
14	नियम – 46क(4)(घ) और 78	प्ररूप – 16 घ	निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश
15	————————	परिशिष्ट –4	RECEIPT FORM POLLING ARTICLES
16	————————	परिशिष्ट . 5	LAY OUT OF POLLING STATION
17	————————	परिशिष्ट–6	पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान आरम्भ से पूर्व, मतदान के दौरान एवं मतदान के अन्त में की गई घोषणायें
18	————————	परिशिष्ट – 7	पीठासीन अधिकारी (प्रिसाइडिंग ऑफिसर) की डायरी
19	————————	परिशिष्ट – 8	प्ररूप – 14 ग रिकार्ड किये गये मतों का लेखा
20	————————	परिशिष्ट 9	थाना अधिकारी को शिकायती पत्र
21	————————	परिशिष्ट – 10	निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्ररूप
22	————————	परिशिष्ट – 11	आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची
23	————————	परिशिष्ट 12	दृष्टिहीन या शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा
24	————————	परिशिष्ट 13	चैलेन्ज फीस, रशीद बुक प्ररूप
25	————————	परिशिष्ट–14	पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा
26	————————	परिशिष्ट–15	पीठासीन अधिकारियों लिए चैक मीमो
27	————————	परिशिष्ट–15 A	लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने हैं

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

अनुक्रमणिका: नियम/प्रारूप/उपयोग — क्रम 1 से 27 तक

- **नियम-संदर्भ** ✅ — अनुक्रमणिका के सभी नियम-संदर्भ (26(3), 43, 35-क, 44-क, 49-ग/63-क(2), 46-क(4)) परियोजना-सामग्री से मेल खाते हैं — इन्हें न बदलें।
- **क्रम 19** ✅ — परिशिष्ट-8 = प्ररूप 14-ग का भरा नमूना; अर्थात् डायरी परिशिष्ट-7 है, परिशिष्ट-8 नहीं।
- **सूचीबद्ध पर अनुपस्थित** — परिशिष्ट-8 (क्रम 19), परिशिष्ट-14 (क्रम 25), परिशिष्ट-15 चेक मेमो (क्रम 26) — अनुक्रमणिका में हैं, पुस्तिका में पृष्ठ नहीं।
- **कहीं नहीं** — परिशिष्ट-19 (मॉकपोल प्रमाणपत्र) — न अनुक्रमणिका में, न पुस्तिका में; जबकि वह मतदान की सुबह भरना अनिवार्य है।

इस नमूने में दोष

अनुक्रमणिका क्रम 27 (परिशिष्ट-15A) पर समाप्त हो जाती है और परिशिष्ट-19 का उल्लेख ही नहीं करती — जबकि मॉकपोल प्रमाणपत्र हर बूथ पर, हर बार भरा जाना है — सुधार: 'क्रम 28 — परिशिष्ट-19 — मॉकपोल प्रमाण पत्र' जुड़वाएँ और उसका पृष्ठ भी पुस्तिका में लगवाएँ (सुधार-पत्रक मद 1-ज्ञ)।

स्रोत: मूल पुस्तिका पृ. 2; सुधार-पत्रक मद 1-ज्ञ, मद 1-ह

प्ररूप (Form) ≠ परिशिष्ट (Annexure) — दो अलग शृंखलाएँ

नया

शब्द	कहाँ से आता है	उदाहरण
प्ररूप (Form)	नियमों से — राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994	प्ररूप 9, 12, 13, 14-क, 14-ख, 14-ग, 15, 16
परिशिष्ट (Annexure)	आयोग की मार्गदर्शिका / आदेशों से	परिशिष्ट-4, 6, 7, 10, 11, 13, 15A, 19
सावधानी	दोनों की संख्याएँ आपस में मत मिलाएँ	परिशिष्ट-8 ≠ प्ररूप 8 — परिशिष्ट-8 तो प्ररूप 14-ग का भरा नमूना है
छपा नियम-संदर्भ	यह लेबल है, निर्देश नहीं	14-ग मद 3 पर छपा 'नियम 45-क' — वह नियम विलोपित हो चुका है

> **कक्षा में यही सबसे पहले साफ़ करें**
> "डायरी परिशिष्ट-8 है" — यह पूरे प्रशिक्षण-तंत्र में सबसे दोहराई जाने वाली गलती है। डायरी = परिशिष्ट-7। परिशिष्ट-8 = 14-ग का नमूना। इसी पुस्तिका की अपनी अनुक्रमणिका (क्रम 18 व 19) यह सिद्ध कर देती है।

स्रोत: FORMS_MODULE_hi §0; राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994; आयोग की मार्गदर्शिका

02

अभिकर्ता-संबंधी प्रपत्र

प्ररूप 9 · प्ररूप 10 — पीठासीन अधिकारी प्राप्त करता एवं प्रतिहस्ताक्षर करता है

प्ररूप 9 — मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप – 9
{नियम – 26 (3) देखिये}
मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

नगरपालिका .पावटा.
वार्ड संख्या .21 के लिए निर्वाचन

मैं, मनीष कुमार गोयल अभ्यर्थी/श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ . का निर्वाचन अभिकर्ता, जो उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी है, श्री/श्रीमती विक्रम सिंह वार्ड नं. 21 पावटा .. (नाम और पूर्ण पता) को मतदान के दिन मतदान केन्द्र .राउमावि,पावटा मतदान केन्द्र सं. .122 पर मतदान अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए इसके द्वारा नियुक्त करता हूँ।

मनीष कुमार गोयल/ सुरेन्द्र सिंह राठौड
तारीख 13.08.2026 अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

विक्रम सिंह
तारीख 13.08.2026 मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मतदान अभिकर्ता की घोषणा
(पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जावे)

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन में मतदान की गोपनीयता को बनाये रखूंगा और बनाये रखने में सहायता करूंगा और किसी भी व्यक्ति को (किसी भी विधि के द्वारा/या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के सिवाय) ऐसी कोई भी सूचना नहीं दूंगा, जो ऐसी गोपनीयता के भंग की श्रेणी में आये।

विक्रम सिंह
मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये। मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

राजू लाल
तारीख .13.08.2026 पीठासीन अधिकारी

मतदान केन्द्र पर पेश करने के लिए मतदान अभिकर्ता को सौंपे जाने के लिए।

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

भरा हुआ नमूना — नियुक्ति, सहमति एवं गोपनीयता की घोषणा (अंक काल्पनिक)

- **कौन भरे** — अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता — नियुक्ति खण्ड में हस्ताक्षर; अभिकर्ता सहमति खण्ड में।
- **PRO का अपना कृत्य** — तीसरा खण्ड — गोपनीयता की घोषणा — अभिकर्ता आपके *सामने* हस्ताक्षर करेगा; आप 'मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये' लिखकर दिनांक सहित प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
- **कागज़ ले लेना पर्याप्त नहीं** — प्रतिहस्ताक्षर के बिना घोषणा अधूरी है — यह प्रवेश की शर्त है।
- **लिफाफा** — प्रयुक्त प्ररूप-9 → E-14 (बिना सील), काउंटर-2।

स्रोत: नियम 26(3) एवं 78; ULB Manual मु.पृ. 144

पूरक

प्ररूप 9 के साथ जो पुस्तिका नहीं बताती — प्रवेश की शर्तें

1. **प्ररूप-9 पेश हो**
   बिना वैध प्ररूप-9 के किसी को अभिकर्ता के रूप में प्रवेश नहीं।
2. **हस्ताक्षर मिलाएँ**
   सामग्री में मिली अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर-नमूनों की प्रतियों से मिलान करें।
3. **संख्या-सीमा**
   प्रति अभ्यर्थी प्रति केन्द्र — 1 अभिकर्ता + 2 रिलीवर; किन्तु एक समय में केवल एक ही भीतर।
4. **बैज एवं चिन्ह**
   कागज़ का बैज दें; चुनाव-चिन्ह/दलीय प्रतीक धारण करके भीतर नहीं।
5. **प्रतिहस्ताक्षर**
   गोपनीयता-घोषणा पर अपने प्रतिहस्ताक्षर करके ही उन्हें बैठने दें।

दो बातें जिन पर कक्षा उलझती है

"अपराह्न 3 बजे बाद रिलीफ अभिकर्ता नहीं" — इसका नियमों में आधार नहीं मिला (सुधार-पत्रक मद 1-ग)। वैध प्ररूप-9 धारक को न रोकें; प्रश्न DEO के लिखित उत्तर हेतु दर्ज है।

प्ररूप 9-क एवं 10-क विलोपित (अधिसूचना 33841 दि. 16.10.2019); प्ररूप 11 विलोपित (11.07.2014) — कोई पेश करे तो वह अप्रचलित है।

स्रोत: मार्गदर्शिका अ.5; अधिसूचना 33841 दि. 16.10.2019; अधिसूचना दि. 11.07.2014

प्ररूप 10 — नियुक्ति का प्रतिसंहरण



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप – 10

[नियम – 26(5) देखिये]

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

नगरपालिका पावटा,

वार्ड संख्या 21 के लिए निर्वाचन

प्रेषिति:

पीठासीन अधिकारी,

मतदान केन्द्र सं 122

मतदान केन्द्र का नाम राउमावि,पावटा

महोदय

मैं,... मनीष कुमार गोयल उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी/उपर्युक्त निर्वाचन के अभ्यर्थी श्री/श्रीमती श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड का निर्वाचन अभिकर्ता श्री/श्रीमती . विक्रम सिंह वार्ड नं. 21 पावटा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का इसके द्वारा प्रतिसंहरण करता हूँ।

मनीष कुमार गोयल/ सुरेन्द्र सिंह राठौड

तारीख 13.06.2026 ...

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

भरा हुआ नमूना — सीधे पीठासीन अधिकारी को संबोधित (अंक काल्पनिक)

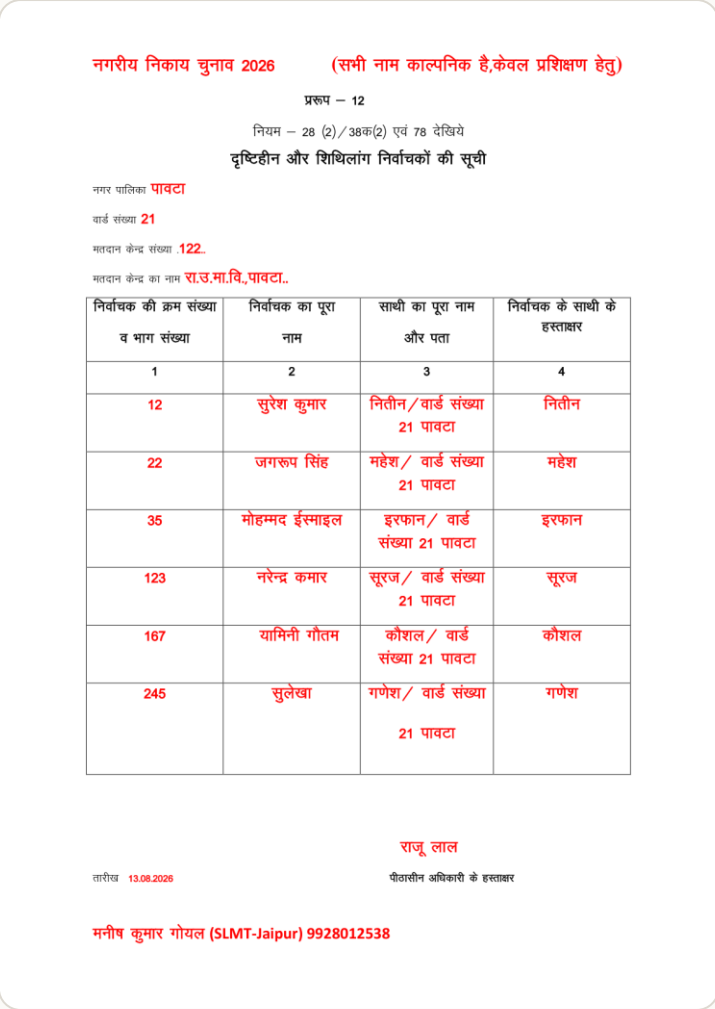
- **संबोधन** — यह पत्र सीधे "पीठासीन अधिकारी, मतदान केन्द्र सं. ..." को आता है — RO को नहीं।
- **हस्ताक्षर केवल एक** — केवल अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के — अभिकर्ता के नहीं, आपके प्रतिहस्ताक्षर भी नहीं।
- **तत्काल कार्य** — प्राप्त होते ही उस अभिकर्ता को केन्द्र से बाहर करें; डायरी मद 8/10 के अंक तदनुसार सुधारें।
- **लिफाफा** — प्राप्त प्ररूप-10 → E-14 (बिना सील)। मार्गदर्शिका अ.13 की जमा-सूची शासी है।

03

मतदाता-स्तर के प्रपत्र

प्ररूप 12 · 13 · 14-क · 14-ख — मेज़ पर दिनभर चलने वाले

प्ररूप 12 — दृष्टिहीन एवं शिथिलांग निर्वाचकों की सूची



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप – 12

नियम – 28 (2)/38क(2) एवं 78 देखिये

दृष्टिहीन और शिथिलांग निर्वाचकों की सूची

नगर पालिका पावटा

वार्ड संख्या 21

मतदान केन्द्र संख्या 122.

मतदान केन्द्र का नाम रा.उ.मा.वि.,पावटा..

निर्वाचक की क्रम संख्या व भाग संख्या	निर्वाचक का पूरा नाम	साथी का पूरा नाम और पता	निर्वाचक के साथी के हस्ताक्षर
1	2	3	4
12	सुरेश कुमार	नितीन/वार्ड संख्या 21 पावटा	नितीन
22	जगरूप सिंह	महेश/ वार्ड संख्या 21 पावटा	महेश
35	मोहम्मद ईस्माइल	इरफान/ वार्ड संख्या 21 पावटा	इरफान
123	नरेन्द्र कमार	सूरज/ वार्ड संख्या 21 पावटा	सूरज
167	यामिनी गौतम	कौशल/ वार्ड संख्या 21 पावटा	कौशल
245	सुलेखा	गणेश/ वार्ड संख्या 21 पावटा	गणेश

राजू लाल

तारीख 13.08.2026 पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

4 स्तम्भ · 6 प्रविष्टियों का भरा नमूना (नाम काल्पनिक)

- **कौन/कब** — PRO — जब भी कोई दृष्टिहीन/शिथिलांग निर्वाचक साथी के साथ मत देता है, उसी समय।
- **स्तम्भ 3–4** — साथी का *पूरा नाम एवं पता*, और साथी के हस्ताक्षर — दोनों अनिवार्य।
- **साथी की शर्तें** — 18+ · एक दिन में केवल एक ही निर्वाचक का साथी · मत गुप्त रखने की घोषणा (परिशिष्ट-12)।
- **केवल निरक्षरता पर्याप्त नहीं** — साथी का अधिकार दृष्टिहीनता/अंग-शिथिलता पर है; पढ़ना न आना अपने आप आधार नहीं।
- **लिफाफा एवं मिलान** — सूची + परिशिष्ट-12 की घोषणाएँ → E-14 (बिना सील); डायरी मद 15 एवं 19 से मिलान।

स्रोत: नियम 28(2)/38-क(2) एवं 78; मार्गदर्शिका अ.7; ULB Manual मु.पृ. 92

प्ररूप 13 — अभ्याक्षेपित (चैलेन्ज्ड) मतों की सूची



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप – 13
(नियम – 43 एवं 78 देखिये)
चुनौती मतों की सूची (Challanged Vote)

लिफाफा संख्या E-7 में रखकर सील करना है।

नगरपालिका पावटा
वार्ड संख्या 21 के लिए निर्वाचन
मतदान केन्द्र संख्या 122.. मतदान केन्द्र का नाम रा.उ.मा.वि.,पावटा..

क्र. सं.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक की क्रम संख्या व भाग संख्या	चुनौती दिये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर व अंगूठे की छाप	चुनौती दिये गये व्यक्ति का पता	पहचानने वाले का, यदि कोई नाम हो	चुनौती देने वाले का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	जमा की प्रतिदाये प्राप्त होने पर चुनौती लेने वाले के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मनोज कुमार	122/234	मनोज कुमार	वार्ड नं. 21,पावटा	यदि कोई नाम हो तो लिखे	चुनौती देने वाले का नाम लिखे	चुनौती रदद् या जैसा भी आदेश हो वह लिखे	कॉलम संख्या 7 के अनुसार नाम लिखे
2	कैलाश	335/234	कैलाश	वार्ड नं. 21,पावटा	यदि कोई नाम हो तो लिखे	चुनौती देने वाले का नाम लिखे	चुनौती रदद् या जैसा भी आदेश हो वह लिखे	कॉलम संख्या 7 के अनुसार नाम लिखे
3	मनोरमा	629/234	मनोरमा	वार्ड नं. 21,पावटा	यदि कोई नाम हो तो लिखे	चुनौती देने वाले का नाम लिखे	चुनौती रदद् या जैसा भी आदेश हो वह लिखे	कॉलम संख्या 7 के अनुसार नाम लिखे
4	संतोषी देवी	143/234	संतोषी देवी	वार्ड नं. 21,पावटा	यदि कोई नाम हो तो लिखे	चुनौती देने वाले का नाम लिखे	चुनौती रदद् या जैसा भी आदेश हो वह लिखे	कॉलम संख्या 7 के अनुसार नाम लिखे
5	रमेश	179/234	रमेश	वार्ड नं. 21,पावटा	यदि कोई नाम हो तो लिखे	चुनौती देने वाले का नाम लिखे	चुनौती रदद् या जैसा भी आदेश हो वह लिखे	कॉलम संख्या 7 के अनुसार नाम लिखे

इत्यादि

राजू लाल
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख 13.08.2026

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

9 स्तम्भ — नमूने में स्तम्भ 5–9 में निर्देश-वाक्य छपे हैं, अंक नहीं

- **₹2 पहले** — नकद ₹2 जमा हुए बिना चुनौती स्वीकार ही न करें; परिशिष्ट-13 की रसीद तुरंत दें।
- **शपथ दिलाकर जाँच** — पहले चुनौतीकर्ता प्रथम-दृष्ट्या सिद्ध करे, फिर मतदाता खण्डन करे — संक्षिप्त जाँच।
- **स्तम्भ 8** — "पीठासीन अधिकारी का आदेश" — कारण सहित लिखें; यही अभिलेख RO के यहाँ पढ़ा जाएगा।
- **स्तम्भ 9** — निक्षेप वापसी पर चुनौतीकर्ता के हस्ताक्षर — वापसी की स्थिति में खाली न छोड़ें।
- **आगे** — चुनौती सफल → मत वर्जित, व्यक्ति पुलिस को सुपुर्द, परिशिष्ट-9 से थानाधिकारी को पत्र। सूची → E-7 (सीलबंद)।

स्रोत: नियम 43 एवं 78; मार्गदर्शिका अ.6(2); ULB Manual मु.पृ. 93

₹2 की चुनौती-राशि — झूठी चुनौती पर जब्त, सच्ची पर वापस

नया

स्थिति	मतदान	₹2 का क्या
चुनौती तुच्छ (frivolous) अथवा सद्भावपूर्वक नहीं की गई	मतदाता मत देगा	🔴 जब्त — प्रतिपर्ण पर "जब्त" लिखें
मतदाता अपना दावा सिद्ध कर देता है (चुनौती विफल, पर बदनीयती नहीं)	मतदाता मत देगा	🟢 वापस
मतदाता दावा सिद्ध नहीं कर सका — चुनौती सिद्ध मानी जाएगी	❌ मत देने से वर्जित	🟢 वापस — प्रतिपर्ण पर प्राप्ति लेकर लौटाएँ

यह उल्टा लगता है — गलती भी यहीं होती है

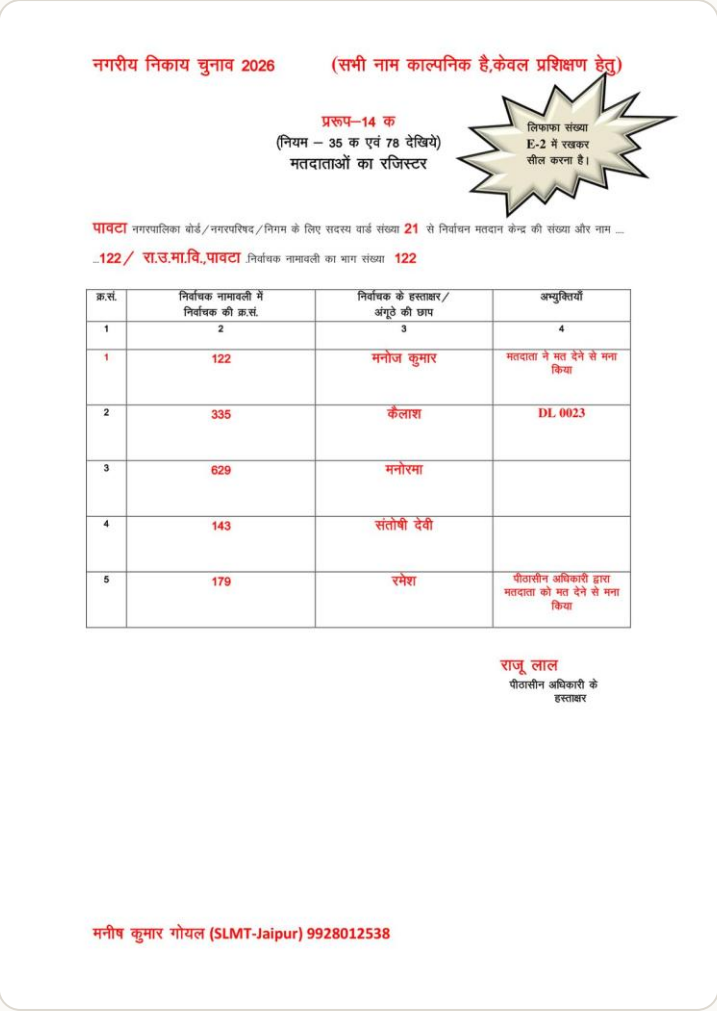
राशि झूठे चुनौतीकर्ता को दण्डित करने के लिए है, सच्चे को पुरस्कृत करने के लिए नहीं — इसलिए झूठी चुनौती पर जब्त, सच्ची चुनौती पर वापस।

नियम 43(5) और आयोग का अपना DLMT डेक (PPT-2 की मद 12 व 13) — दोनों यही कहते हैं। मार्गदर्शिका अ.6(2) पैरा 3 का "चुनौती सही पाई गई → जब्त" वाला वाक्य इन दोनों से अलग खड़ा है; विवाद में नियम ही ऊपर है। DEO को केवल अभिलेख हेतु सूचित करें — प्रशिक्षण इस पर रुका नहीं है।

प्ररूप-13 के स्तम्भ 8 ("पीठासीन अधिकारी का आदेश") में जब्ती का कारण नियम 43(5) की भाषा में ही लिखें — "तुच्छ / सद्भावपूर्वक नहीं"।

स्रोत: नियम 43(5), राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994; आयोग का DLMT डेक 3-Polling Party PPT-2, स्लाइड 51–53 की मद 12 व 13; परिशिष्ट-13

प्ररूप 14-क — मतदाताओं का रजिस्टर



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप–14 क
(नियम – 35 क एवं 78 देखिये)
मतदाताओं का रजिस्टर

लिफाफा संख्या E-2 में रखकर सील करना है।

पावटा नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम के लिए सदस्य वार्ड संख्या 21 से निर्वाचन मतदान केन्द्र की संख्या और नाम —
122/ रा.उ.मा.वि.,पावटा निर्वाचक नामावली का भाग संख्या 122

क्र.सं.	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्र.सं.	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठे की छाप	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4
1	122	मनोज कुमार	मतदाता ने मत देने से मना किया
2	335	कैलाश	DL 0023
3	629	मनोरमा	
4	143	संतोषी देवी	
5	179	रमेश	पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता को मत देने से मना किया

राजू लाल
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

4 स्तम्भ; अभ्युक्ति स्तम्भ में 'मना किया', 'DL 0023' जैसी प्रविष्टियाँ (नाम काल्पनिक)

- **कौन भरे** — PO-2 प्रविष्टि करता है (मार्गदर्शिका अ.2 का 2026 का विभाजन) — नीचे PRO के हस्ताक्षर।
- **स्तम्भ 1** — क्रम संख्या — किसी भी दशा में नहीं बदलेगी; यही 14-ग की मद 2 बनती है।
- **स्तम्भ 2** — नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या (नामावली-क्रम, आपका क्रम नहीं)।
- **स्तम्भ 3** — निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप — दोनों में से एक अनिवार्य।
- **लिफाफा** — E-2 (सीलबंद) [नियम 48-क], काउंटर-2 पर जमा।

स्रोत: नियम 35-क एवं 78; मार्गदर्शिका अ.2 (कर्तव्य-विभाजन 2026)

पूरक

14-क का स्तम्भ 4 (अभ्युक्तियाँ) — क्या-क्या लिखा जाता है

स्थिति	स्तम्भ 4 में क्या लिखें	कहाँ जुड़ता है
हर मतदाता	पहचान दस्तावेज़ की क्रम संख्या के अंतिम 4 अंक (4 से कम हो तो पूरी)	मार्गदर्शिका अ.3(8)8
हस्ताक्षर के बाद मत नहीं डाला	"No Vote"	14-ग की मद 3
आपने मतदान नहीं करने दिया	"अनुमति नहीं दी" + कारण + PRO के पूर्ण हस्ताक्षर	14-ग की मद 4 (नियम 37-क(7))
EDC धारक	स्तम्भ 2 में क्रमांक/भाग सं. के साथ नगरपालिका का नाम व वार्ड	14-ग/डायरी मद 14; प्ररूप 16 → E-8

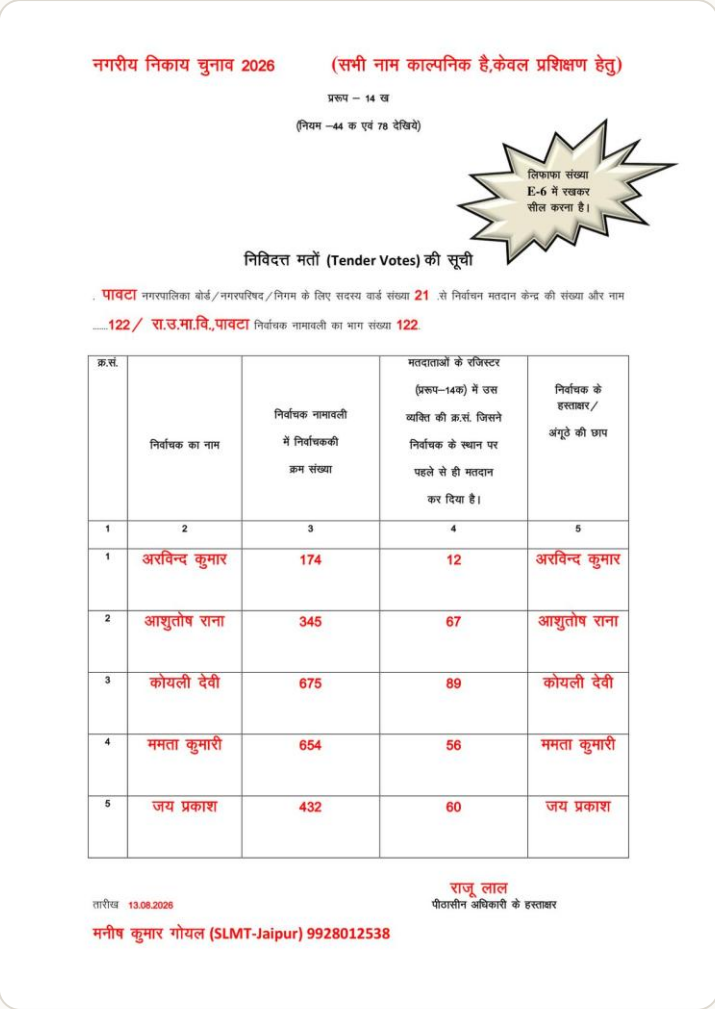
दिनभर की दो आदतें जो शाम को डायरी बचाएँगी

चिन्हित प्रति में महिला = बाईं ओर ✓, थर्ड जेंडर = बाईं ओर * — तभी डायरी मद 12 का बँटवारा शाम को बनेगा (मार्गदर्शिका अ.3(1)17)।

PO-1 दो टैली रखे — EPIC से पहचान, वैकल्पिक दस्तावेज़ से पहचान — तभी डायरी मद 18 भरेगी। EDC-प्रविष्टि में "एसेम्बली क्षेत्र" नहीं लिखा जाता; निकाय-वार्ड लिखा जाता है (मद 1-न)।

स्रोत: मार्गदर्शिका अ.3(8)8; अ.3(1)17; आदेश 5310 दि. 30.07.2026; सुधार-पत्रक मद 1-च, मद 1-न

प्ररूप 14-ख — निविदत्त (Tendered) मतों की सूची



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप – 14 ख

(नियम –44 क एवं 78 देखिये)

लिफाफा संख्या E-6 में रखकर सील करना है।

निविदत्त मतों (Tender Votes) की सूची

पावटा नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम के लिए सदस्य वार्ड संख्या 21 .से निर्वाचन मतदान केन्द्र की संख्या और नाम .....122/ रा.उ.मा.वि.,पावटा निर्वाचक नामावली का भाग संख्या 122

क्र.सं.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में निर्वाचककी क्रम संख्या	मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप–14क) में उस व्यक्ति की क्र.सं. जिसने निर्वाचक के स्थान पर पहले से ही मतदान कर दिया है।	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठे की छाप
1	2	3	4	5
1	अरविन्द कुमार	174	12	अरविन्द कुमार
2	आशुतोष राना	345	67	आशुतोष राना
3	कोयली देवी	675	89	कोयली देवी
4	ममता कुमारी	654	56	ममता कुमारी
5	जय प्रकाश	432	60	जय प्रकाश

तारीख 13.08.2026

राजू लाल
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

5 स्तम्भ · 5 प्रविष्टियाँ (नाम व अंक काल्पनिक)

- **कब** — असली निर्वाचक आए और उसके नाम पर पहले कोई मत डाल चुका हो — PRO स्वयं निपटाएगा।
- **स्तम्भ 4 (सबसे भूला जाने वाला)** — उस व्यक्ति की प्ररूप 14-क वाली क्रम संख्या, जिसने पहले उसके स्थान पर मत दिया।
- **स्तम्भ 5** — निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठा — मतपत्र जारी करने से *पहले* लें।
- **लिफाफा** — सूची → E-6 (सीलबंद); प्रयुक्त मतपत्र → E-5; अप्रयुक्त → E-4।
- **मिलान** — प्रविष्टियों की गिनती = 14-ग मद 7 = डायरी मद 16।

स्रोत: नियम 44-क एवं 78; ULB Manual मु.पृ. 95

निविदत्त मत — पूरी प्रक्रिया, क्रम से

नया

1. **1 · पहचान संतुष्टि**
   प्रश्न पूछकर संतुष्ट हों कि यही असली निर्वाचक है।
2. **2 · मतपत्र तैयार करें**
   पीठ पर "निविदत्त मतपत्र" की मोहर (न हो तो हाथ से लिखकर हस्ताक्षर) + सुभिन्नकारी चिन्ह की मोहर (ऊपर वार्ड क्रमांक, नीचे केन्द्र क्रमांक)।
3. **3 · अमिट स्याही**
   बाईं तर्जनी पर स्याही — यह चरण छूटता है; निविदत्त मतदाता भी सामान्य मतदाता की तरह स्याही लगवाएगा।
4. **4 · 14-ख में प्रविष्टि**
   पाँचों स्तम्भ भरें और निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठा लें — *तभी* मतपत्र सौंपें।
5. **5 · मतदान एवं वापसी**
   मतदाता ऐरोक्रॉस सील से अभ्यर्थी अथवा नोटा पर चिन्ह लगाकर, मोड़कर आपको लौटाएगा → लिफाफा E-5।

मात्रा का नियम

हर मतदान केन्द्र को बीस (20) निविदत्त मतपत्र दिए जाते हैं [मार्गदर्शिका अ.8(1)]; कम पड़ें तो जोनल मजिस्ट्रेट को सूचित करें। यही "20" वह अंक है जिससे 14-ग की मद 8(क) मिलनी चाहिए।

निविदत्त मतपत्र EVM में नहीं डलता — वह कागज़ी मतपत्र है और मतगणना में अलग से देखा जाता है।

स्रोत: नियम 44-क; मार्गदर्शिका अ.8(1); सुधार-पत्रक मद 1-ष

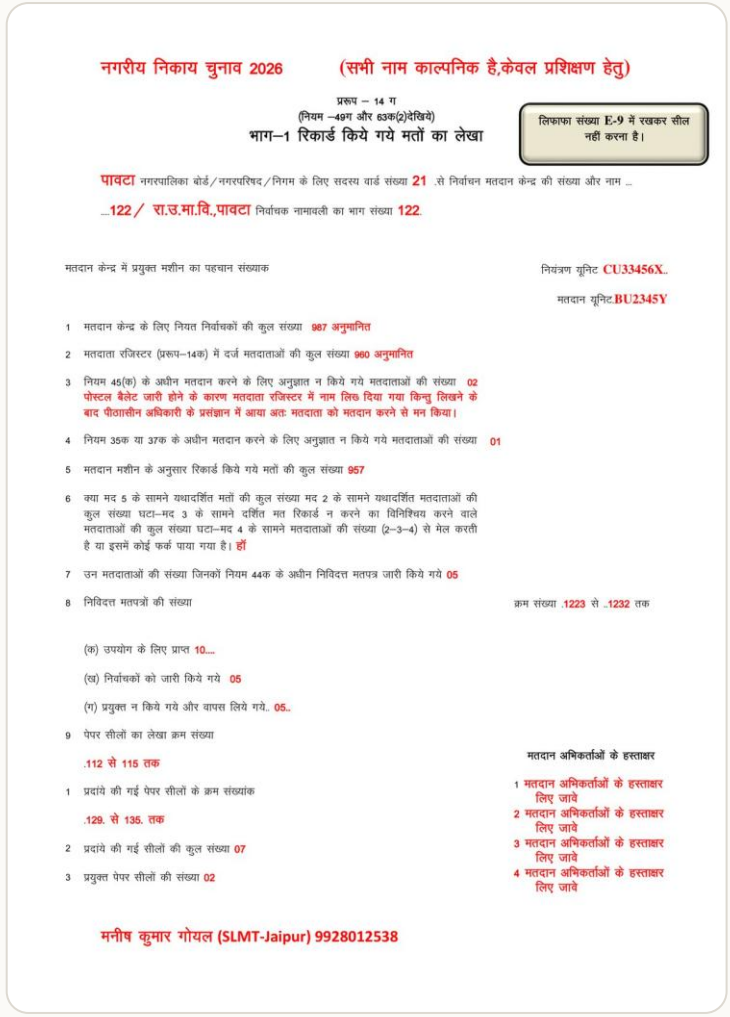
04

प्ररूप 14-ग — रिकार्ड किये गये मतों का लेखा

PRO का सबसे भारी प्रपत्र · मतदान समाप्ति पर · दो प्रतियाँ

प्ररूप 14-ग भाग-1 — भरा हुआ नमूना

सुधार



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप – 14 ग
(नियम –49ग और 63क(2)देखिये)
भाग–1 रिकार्ड किये गये मतों का लेखा

लिफाफा संख्या E-9 में रखकर सील नहीं करना है।

पावटा नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम के लिए सदस्य वार्ड संख्या 21 से निर्वाचन मतदान केन्द्र की संख्या और नाम ...

...122 / रा.उ.मा.वि.,पावटा निर्वाचक नामावली का भाग संख्या 122

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मशीन का पहचान संख्यांक — नियंत्रण यूनिट CU3456X.. मतदान यूनिट BU2345Y

1 मतदान केन्द्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या 987 अनुमानित

2 मतदाता रजिस्टर (प्ररूप–14क) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या 960 अनुमानित

3 नियम 45(क) के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या 02
पोस्टल बैलेट जारी होने के कारण मतदाता रजिस्टर में नाम लिख दिया गया किन्तु लिखने के बाद पीठासीन अधिकारी के प्रसंज्ञान में आया अतः मतदाता को मतदान करने से मन किया।

4 नियम 35क या 37क के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या 01

5 मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या 957

6 क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा–मद 3 के सामने दर्शित मत रिकार्ड न करने का विनिश्चिय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटा–मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2–3–4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है। हाँ

7 उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 44क के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किये गये 05

8 निविदत्त मतपत्रों की संख्या — क्रम संख्या 1223 से 1232 तक

(क) उपयोग के लिए प्राप्त 10....

(ख) निर्वाचकों को जारी किये गये 05

(ग) प्रयुक्त न किये गये और वापस लिये गये.. 05..

9 पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्या

112 से 115 तक

1 प्रदाये की गई पेपर सीलों के क्रम संख्यांक
129. से 135. तक

2 प्रदाये की गई सीलों की कुल संख्या 07

3 प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या 02

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1 मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए जावे
2 मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए जावे
3 मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए जावे
4 मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए जावे

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

मद 1–9 · CU/BU पहचान संख्यांक ऊपर दाईं ओर (सभी अंक काल्पनिक)

- **कौन/कब** — PRO, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद — Close दबाकर कुल संख्या नोट करते हुए।
- **शीर्ष-भाग** — निकाय · वार्ड · केन्द्र सं. व नाम · नामावली भाग सं. · CU एवं BU दोनों के पहचान संख्यांक — दोनों अनिवार्य।
- **दो प्रतियाँ** — एक → E-9 (बिना सील); दूसरी → डायरी के साथ E-11 (बिना सील)। दोनों काउंटर-1 पर।
- **अभिकर्ता का अधिकार** — समाप्ति पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता प्रति माँगे तो प्रमाणित करते हुए दें [मार्गदर्शिका अ.11(3)6]।

इस नमूने में दोष

मद 3 के सामने लाल स्याही में लिखा है "...पीठासीन अधिकारी के प्रसंज्ञान में आया अतः मतदाता को मतदान करने से मना किया" — किन्तु मद 3 उन्हीं की है जिन्होंने *स्वयं* मत न डालने का विनिश्चय किया ("No Vote"); जिसे आपने मना किया वह मद 3 की परिभाषा में आता ही नहीं — और मद 4 भी केवल नियम 35-क/37-क तक सीमित है, अतः यह उदाहरण दोनों में से किसी खाने में ठीक नहीं बैठता। सही यह है कि यह उदाहरण नमूने से हटाया जाए और सादा "No Vote" का उदाहरण (हस्ताक्षर के बाद मतदाता लौट गया) रखा जाए; प्रश्न RO/DEO से पूछें (सुधार-पत्रक मद 1-ठ)।

स्रोत: नियम 49-ग एवं 63-क(2); भरा नमूना = परिशिष्ट-8 (मु.पृ. 113–114); सुधार-पत्रक मद 1-ठ

मद 1 से 6 — किस खाने में कौन गिना जाएगा

पूरक

मद	क्या भरना है	स्रोत जहाँ से अंक आएगा
1	केन्द्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या	निर्वाचक नामावली
2	मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या	14-क के स्तम्भ 1 का अन्तिम क्रमांक
3	"No Vote" — हस्ताक्षर किए, स्वयं मत नहीं डाला	14-क का अभ्युक्ति स्तम्भ
4	जिन्हें आपने मतदान नहीं करने दिया (नियम 35-क अथवा 37-क)	14-क में PRO के हस्ताक्षर वाला रिमार्क
5	मशीन के अनुसार रिकार्ड मतों की कुल संख्या	Close दबाने पर मिला Total — तुरंत लिखें

मद 6 — प्रपत्र स्वयं मिलान पूछता है

मद 5 = मद 2 − मद 3 − मद 4। यही उत्तर "हाँ" या फर्क का विवरण बनता है। नमूने में 960 − 02 − 01 = 957 ✅ — अंकगणित सही है, केवल मद 3 का वर्गीकरण गलत है।

मद 3 पर छपा "नियम 45(क)" — वह नियम ULB Manual में `[XXX 45-A deleted]` के रूप में विलोपित है। यह एक मृत लेबल है, निर्देश नहीं; प्रपत्र भरने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मद 3 (मतदाता का निर्णय) और मद 4 (PRO का निषेध) को कभी न मिलाएँ।

सुधार

मद 7–9 — निविदत्त मतपत्र एवं पेपर सील का लेखा

मद	नमूने में छपा (काल्पनिक)	जाँच जो स्वयं करनी है
8(क) प्राप्त	10	🔴 केन्द्र को 20 मिलते हैं — इसी पुस्तिका का पृ. 23 भी "20" कहता है
8(ख)+8(ग)	05 + 05 = 10	(ख)+(ग) सदा (क) के बराबर; (ख) की गिनती = मद 7
9 शीर्ष क्रम सं.	112 से 115 (= 4 सील)	🔴 उसी मद की उप-मद 1 कहती है 129 से 135 (= 7)
9(2) कुल प्रदाय	07	129–135 से मेल खाता है, 112–115 से नहीं

इस नमूने में दोष

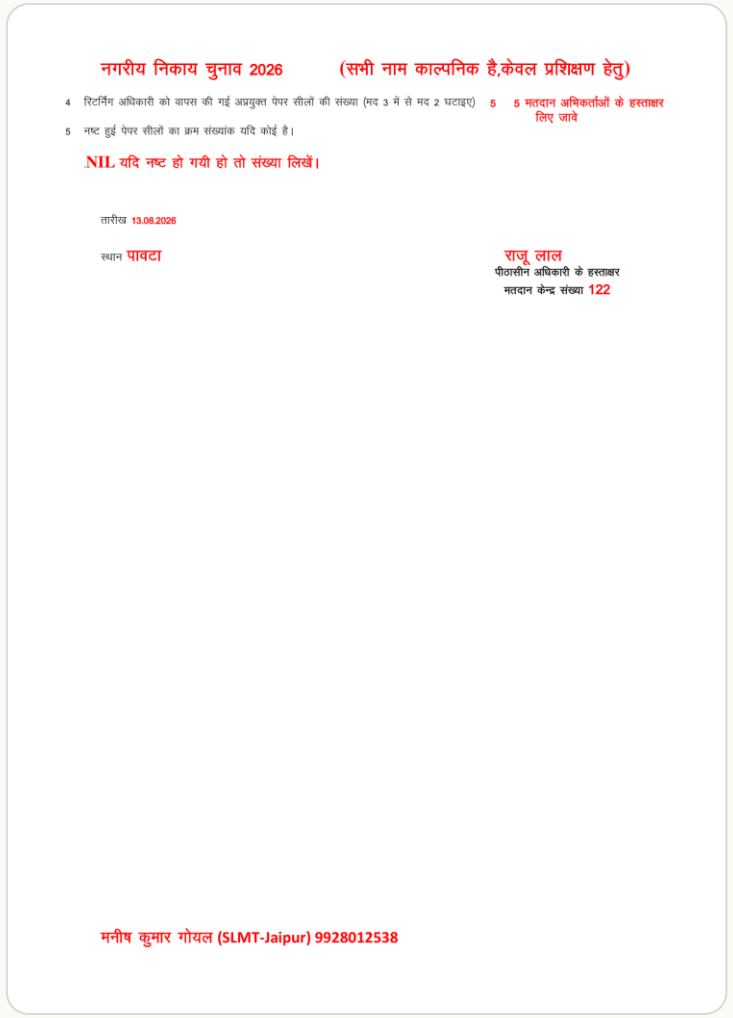
मद 8(क) में "उपयोग के लिए प्राप्त 10" छपा है जबकि इसी पुस्तिका के पृ. 23 (रसीद प्रपत्र सं. 2) में उसी केन्द्र के लिए "Ballot Papers (for Tendered votes) — 20" छपा है — मार्गदर्शिका अ.8(1) स्वयं कहती है कि प्रत्येक केन्द्र को बीस निविदत्त मतपत्र दिए जाएंगे — अतः सही अंक 20 है और नया नमूना बने तो क्रम संख्या भी 20 मतपत्रों की हो (सुधार-पत्रक मद 1-ड)।

इसके अतिरिक्त मद 9 अपने भीतर ही दो अलग क्रम-शृंखलाएँ दिखाती है — शीर्ष पर "112 से 115" और उप-मद 1 में "129 से 135" — जबकि उप-मद 2 का अंक 07 केवल दूसरी शृंखला से मेल खाता है; यह असंगति सुधार-पत्रक में दर्ज नहीं है, अतः इसे कक्षा में *अभ्यास* के रूप में दें: "दोनों शृंखलाएँ गिनिए — कौन-सी 07 बनाती है?"

स्रोत: नियम 49-ग; मार्गदर्शिका अ.8(1); सुधार-पत्रक मद 1-ड

पेपर सील लेखा की मद 4 — निर्देश उलटा छपा है

सुधार



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

4 रिटर्निंग अधिकारी को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या (मद 3 में से मद 2 घटाइए) 5 5 मतदान अधिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए जावे

5 नष्ट हुई पेपर सीलों का क्रम संख्यांक यदि कोई है।

NIL यदि नष्ट हो गयी हो तो संख्या लिखें।

तारीख 13.08.2026

स्थान पावटा

राजू लाल
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र संख्या 122

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

मद 4 एवं 5 · तारीख, स्थान, PRO के हस्ताक्षर, केन्द्र संख्या

गणना	सूत्र	परिणाम
❌ जैसा छपा है	मद 3 में से मद 2 → 02 − 07	− 5 (ऋणात्मक)
✅ जैसा होना चाहिए	मद 2 में से मद 3 → 07 − 02	5
नमूने का भरा उत्तर	—	5 ✅ (उत्तर सही, निर्देश गलत)

इस नमूने में दोष

मद 4 के कोष्ठक में "(मद 3 में से मद 2 घटाइए)" छपा है — यह उलटा है; अक्षरशः पालन करने वाला PRO ऋणात्मक संख्या लिखेगा या उलझ जाएगा — सही निर्देश "(मद 2 में से मद 3 घटाइए)" है; भरा हुआ अंक 5 सही है, उसे न बदलें (सुधार-पत्रक मद 1-ढ)। मद 5 में नष्ट सीलों के क्रमांक — कोई न हो तो "निरंक" लिखें, खाली न छोड़ें।

स्रोत: नियम 49-ग; सुधार-पत्रक मद 1-ढ (यही दोष PP2_p106 एवं PP2_p096 पर भी)

E-9 पर केवल "E-9" लिखना पर्याप्त नहीं

नया

नियम क्या कहता है

नियम 49-क(2) के अनुसार जिस लिफाफे में प्ररूप 14-ग रखा जाए उस पर शब्द "Account of Votes Recorded / रिकार्ड किये गये मतों का लेखा" अंकित किया जाना अनिवार्य है।

व्यवहार में क्या होता है

PRO केवल "E-9" छपा देखकर आगे बढ़ जाता है — यह पृष्ठांकन अधूरा है और RO के यहाँ पकड़ा जाता है।

साथ में

E-9 सील नहीं होगा। इसी पुस्तिका के पृ. 9 पर भी बॉक्स में स्पष्ट लिखा है — "लिफाफा संख्या E-9 में रखकर सील नहीं करना है।"

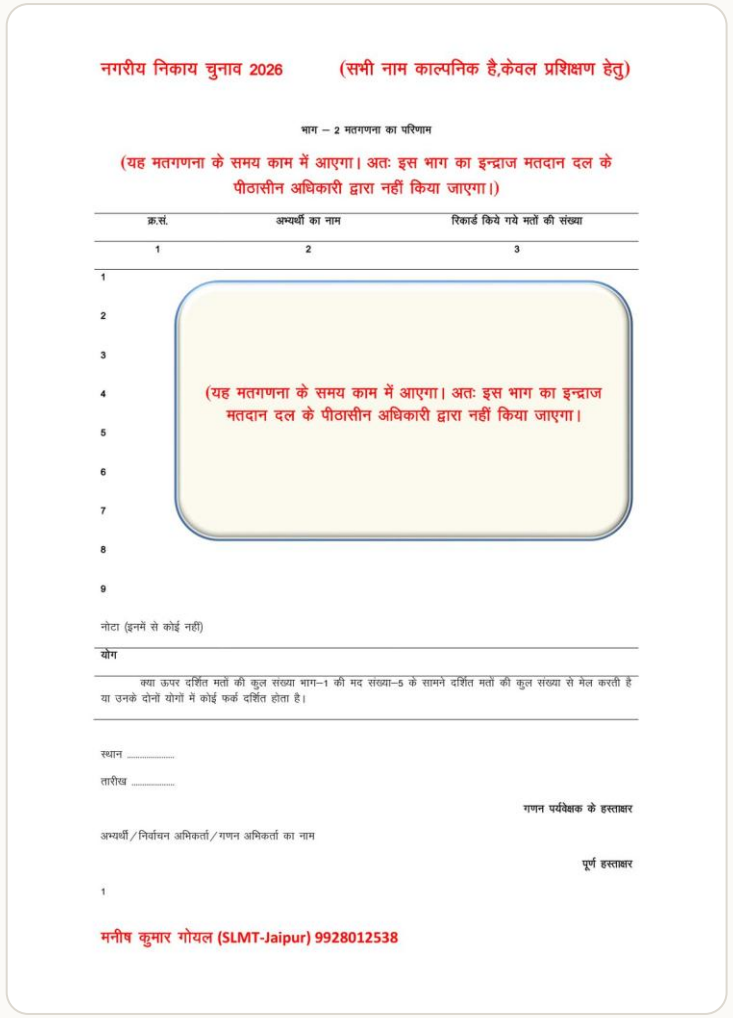
सामान्य नियम — हर पैकेट पर

नियम 48-क का अंतिम वाक्य हर सीलबंद पैकेट पर उसकी अन्तर्वस्तु के पृष्ठांकन की अपेक्षा करता है — केन्द्र का नाम-संख्या, वार्ड, निकाय, अन्तर्वस्तु का विवरण एवं दिनांक पूरे लिखें। परिशिष्ट-15A भी यही दोहराता है।

स्रोत: नियम 49-क(2); नियम 48-क (हर पैकेट पर अन्तर्वस्तु का पृष्ठांकन)

भाग-2 (मतगणना का परिणाम) — यह पीठासीन अधिकारी नहीं भरेगा

पूरक



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

भाग – 2 मतगणना का परिणाम

(यह मतगणना के समय काम में आएगा। अतः इस भाग का इन्द्राज मतदान दल के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	रिकार्ड किये गये मतों की संख्या
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
नोटा (इनमें से कोई नहीं)		
योग		

(यह मतगणना के समय काम में आएगा। अतः इस भाग का इन्द्राज मतदान दल के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग–1 की मद संख्या–5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उनके दोनों योगों में कोई फर्क दर्शित होता है।

स्थान .....

तारीख .....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता / गणन अभिकर्ता का नाम

पूर्ण हस्ताक्षर

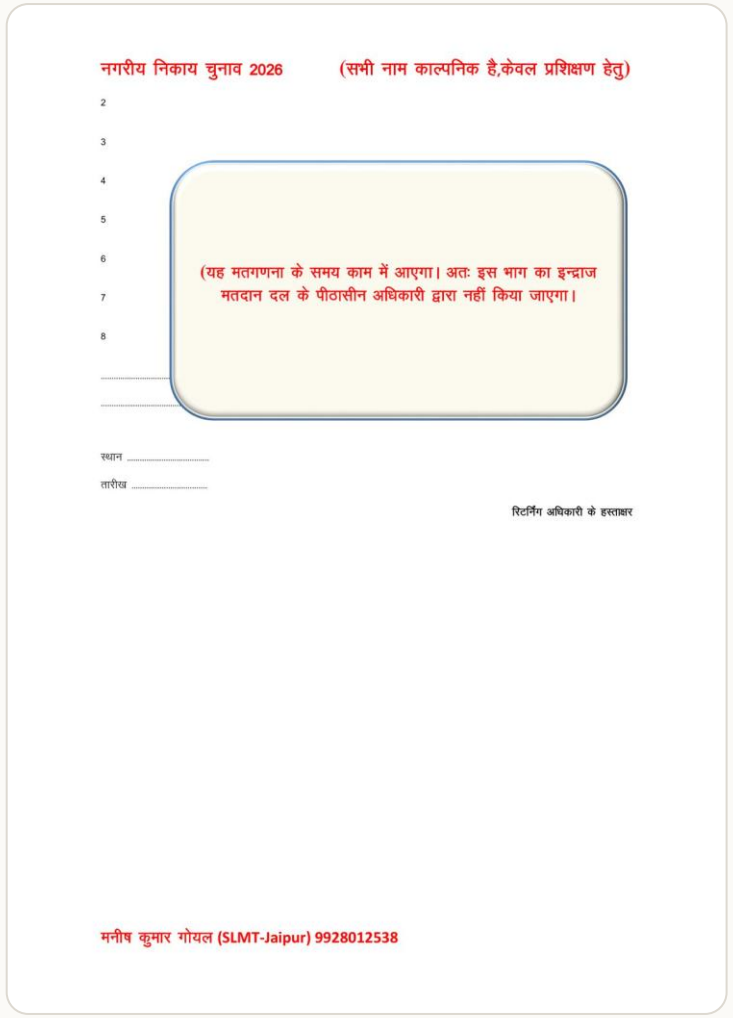
1

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

अभ्यर्थीवार मत + नोटा की पृथक पंक्ति + योग; हस्ताक्षर के खाने अगले पृष्ठ (p012) पर

- **कौन भरेगा** — गणना मेज़ पर गणन पर्यवेक्षक; हस्ताक्षर RO के। प्रपत्र पर ही छपा है कि मतदान दल का PRO इस भाग का इन्द्राज नहीं करेगा।
- **नोटा की पंक्ति** — अभ्यर्थियों के नीचे "नोटा (इनमें से कोई नहीं)" की अलग पंक्ति है — शून्य हो तो भी "0" लिखा जाए, खाली कभी नहीं।
- **प्रपत्र का अपना प्रश्न** — क्या भाग-2 का योग = भाग-1 की मद 5? यही 14-ग को दोनों दिनों जोड़ने वाली कड़ी है।
- **पृष्ठ 12** — अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर (क्रम 2–8) एवं RO के हस्ताक्षर — वही निर्देश पाद में दोहराया गया है।
- **PRO के लिए सीख** — आपकी मद 5 ही गणना-दिवस का आधार है — इसीलिए Close का अंक तुरंत, बिना स्मृति पर भरोसा किए, लिखें।

भाग-2 का दूसरा पृष्ठ — हस्ताक्षर के खाने



अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर क्रम 2–8; नीचे स्थान, तारीख एवं RO के हस्ताक्षर

- **आठ तक** — हस्ताक्षर के खाने 1 से 8 तक हैं — पिछले पृष्ठ पर 1, इस पृष्ठ पर 2 से 8।
- **अंतिम हस्ताक्षर** — रिटर्निंग अधिकारी के — गणना मेज़ पर; PRO का इस पृष्ठ पर कोई काम नहीं।
- **पाद में दोहराया निर्देश** — "यह मतगणना के समय काम में आएगा, अतः इस भाग का इन्द्राज मतदान दल के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।"
- **प्रशिक्षण में क्यों दिखाएँ** — ताकि PRO 14-ग सौंपते समय यह जान ले कि प्रपत्र का यह आधा भाग खाली ही जाएगा — उसे भरने की कोशिश न करे।

स्रोत: नियम 63-क(2); प्रपत्र पर मुद्रित निर्देश

05

डाक मतपत्र एवं निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र

प्ररूप 15 · 15-क · 16 · 16-क · 16-ख · 16-ग · 16-घ — बूथ पर अधिकांशतः सन्दर्भ हेतु

प्ररूप 15 — निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप – 15

(नियम 46 देखिए)

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन

नगरपालिका पावटा वार्ड सं. 21 के लिये निर्वाचन

प्रेषिति,

रिटर्निंग अधिकारी,

वार्ड संख्या 21

महोदय,

मैं ऊपर वर्णित वार्ड के लिये होने वाले निर्वाचन में अपना मत व्यक्तिशः देना चाहता हूं। मेरा नाम ऊपरवर्णित वार्ड की नामावली के भाग संख्या 122. में क्रम संख्यांक 12 पर प्रविष्ट है।

मैं वार्ड संख्यांक 21 के मतदान केन्द्र संख्यांक 122 .. मतदान केन्द्र का नाम राउमावि,पावटा पर निर्वाचन ड्यूटी पर पदस्थापित किया गया है।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्ररूप–16 में एक निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र उस मतदान केन्द्र से जहां मतदान के दिन ड्यूटी पर रहूंगा, मत देने के लिए दिया जाये। यह प्रमाण–पत्र मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाये:–

पता सुनारों का मौहल्ला,पावटा
तारीख 12.06.2026

भवदीय
(कमल कुमार)

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

RO को संबोधित आवेदन — "अपना मत व्यक्तिशः देना चाहता हूँ" (नाम काल्पनिक)

- **कौन** — निर्वाचन ड्यूटी पर लगा वह निर्वाचक जो *स्वयं जाकर* मत देना चाहता है — डाक से नहीं।
- **भरने वाली चार बातें** — नामावली का भाग सं. व क्रम सं. · जिस केन्द्र पर ड्यूटी है उसका सं. व नाम · डाक का पता · दिनांक।
- **आगे क्या** — स्वीकृति पर RO प्ररूप 16 (EDC) जारी करेगा — उसी से वह अपनी ड्यूटी वाले केन्द्र पर मत देगा।
- **PRO का काम** — बूथ पर कुछ नहीं — यह RO के स्तर का प्रपत्र है; बूथ पर केवल प्ररूप 16 सामने आएगा।

स्रोत: नियम 46

प्ररूप 15-क — डाक मतपत्र के लिए आवेदन

पूरक

नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप – 15 क
(नियम – 46 क(4) और 78 देखिये)
डाक मतपत्र के लिए आवेदन

प्रेषित,

रिटर्निंग अधिकारी,
नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम
पावटा
(वार्ड संख्या 21 ..)

महोदय,

मैं कमल कुमार नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम पावटा के लिए वार्ड संख्या 21 . से/अध्यक्षीय पद के लिए होने वाले आगामी निर्वाचन में अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूँ।

मेरा नाम उपर्युक्त वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 122 में क्रम संख्या ...13 पर प्रविष्ट है।

मुझे उपरिवर्णित नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम में वार्ड संख्या 21 के मतदान केन्द्र संख्या .122... मतदान केन्द्र का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,पावटा पर निर्वाचन ड्यूटी पर पदस्थापित किया गया है।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे डाक मतपत्र व्यक्तिशः दे दिया जाये/निम्नलिखित पते पर भेज दिया जाये।

सुनारों का मौहल्ला,पावटा

स्थान पावटा
तारीख .12.08.2026.

भवदीय
सुमित कुमार
हस्ताक्षर ..
नाम .सुमित कुमार

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

"अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूँ" — पता व्यक्तिशः/प्रेषण का विकल्प

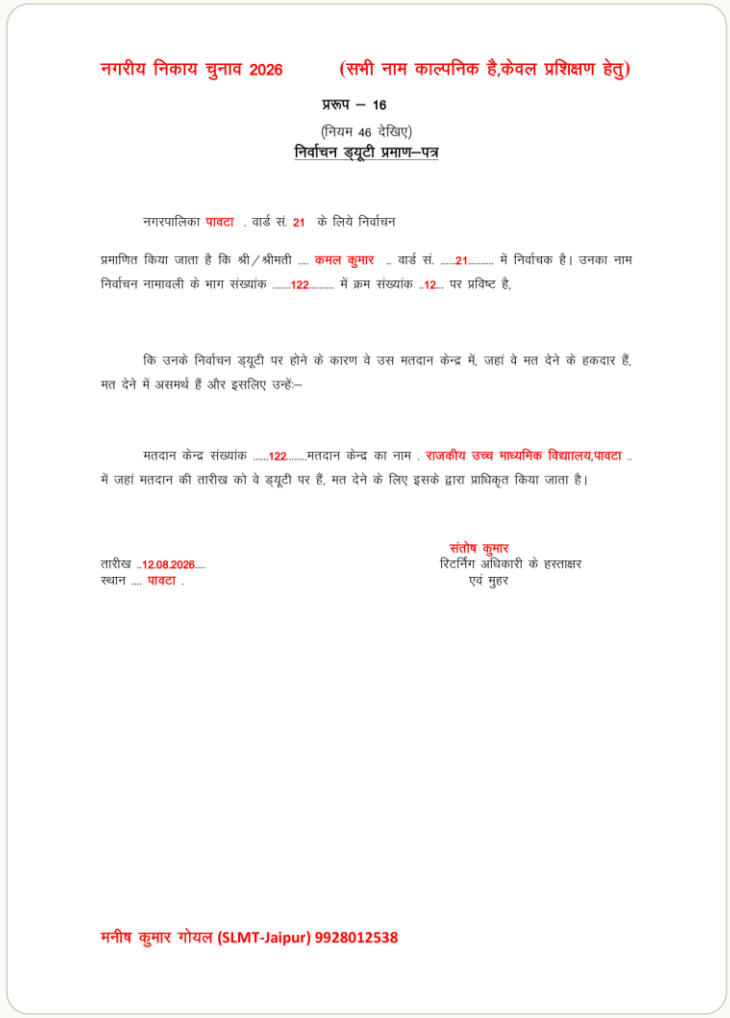
- **भेद** — प्ररूप 15 = व्यक्तिशः मत (EDC); प्ररूप 15-क = डाक द्वारा मत (डाक मतपत्र)।
- **नमूने की एक विसंगति** — आवेदन के भीतर नाम "कमल कुमार" है पर हस्ताक्षर "सुमित कुमार" के हैं — काल्पनिक नमूना है, पर कक्षा को यही मिलान सिखाइए।
- **आगे का सेट** — स्वीकृति पर मतदाता को 16-क (घोषणा), 16-ख (लिफाफा 'क'), 16-ग (लिफाफा 'ख') व 16-घ (अनुदेश) का पूरा सेट जाता है।

अपुष्ट — दावा न करें

प्ररूप 15 बनाम 15-क के प्रयोग का अंतिम भेद परियोजना ने आयोग की मूल प्रति से मिलाकर पुष्ट नहीं किया (FORMS_MODULE §4.3) — कक्षा में इस भेद को "अंतिम" बताकर न पढ़ाएँ; RO से पुष्टि करा लें।

स्रोत: नियम 46-क(4) एवं 78; FORMS_MODULE_hi §4.3

प्ररूप 16 — निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र (EDC)



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप – 16

(नियम 46 देखिए)

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र

नगरपालिका पावटा . वार्ड सं. 21 के लिये निर्वाचन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... कमल कुमार .. वार्ड सं. .....21..... में निर्वाचक है। उनका नाम निर्वाचन नामावली के भाग संख्यांक .....122..... में क्रम संख्यांक ..12... पर प्रविष्ट है,

कि उनके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण वे उस मतदान केन्द्र में, जहां वे मत देने के हकदार हैं, मत देने में असमर्थ हैं और इसलिए उन्हें:–

मतदान केन्द्र संख्यांक .....122.....मतदान केन्द्र का नाम . राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,पावटा .. में जहां मतदान की तारीख को वे ड्यूटी पर हैं, मत देने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

तारीख ..12.08.2026....
स्थान .... पावटा .

संतोष कुमार
रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
एवं मुहर

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

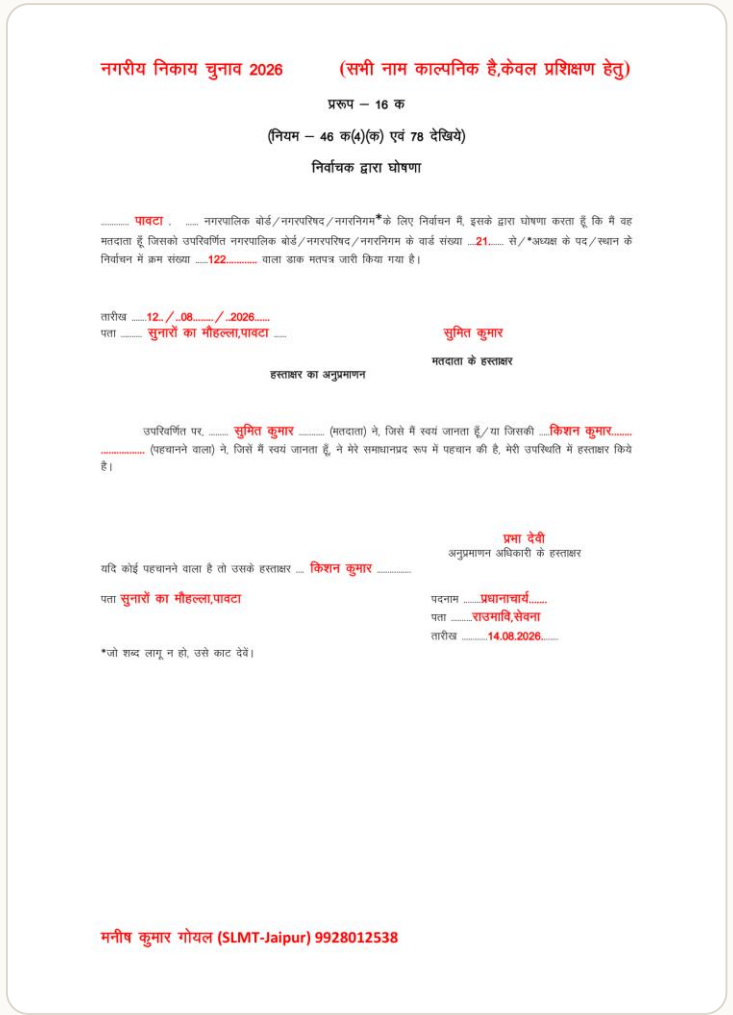
RO द्वारा जारी — पाद में RO के हस्ताक्षर एवं मुहर दोनों

- **यही बूथ पर आएगा** — EDC धारक आपके केन्द्र पर मत देने आएगा — इसे लेकर मूल प्रति अपने पास रखें।
- **दोनों अनिवार्य** — पाद-भाग में RO के हस्ताक्षर *एवं* मुहर — दोनों देखें; एक भी न हो तो RO से पुष्टि कराएँ।
- **14-क में प्रविष्टि** — सामान्य मतदाता की तरह रजिस्टर में प्रविष्टि, स्याही एवं हस्ताक्षर — छूट नहीं।
- **लिफाफा एवं डायरी** — संग्रहीत EDC → E-8 (सीलबंद), काउंटर-2; गिनती → डायरी मद 14।
- **चिन्हित प्रति** — केवल दो चिन्ह वैध हैं — 'पी बी' (डाक मतपत्र) एवं 'ई डी सी'; परिशिष्ट-6 भाग-1(ब) की घोषणा इसी पर है।

स्रोत: नियम 46; लिफाफा E-8 — नियम 48-क

प्ररूप 16-क — निर्वाचक द्वारा घोषणा एवं अनुप्रमाणन

सुधार



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप – 16 क

(नियम – 46 क(4)(क) एवं 78 देखिये)

निर्वाचक द्वारा घोषणा

..... पावटा . ..... नगरपालिक बोर्ड/नगरपरिषद/नगरनिगम*के लिए निर्वाचन में, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वह मतदाता हूँ जिसको उपरिवर्णित नगरपालिक बोर्ड/नगरपरिषद/नगरनिगम के वार्ड संख्या ...21..... से/*अध्यक्ष के पद/स्थान के निर्वाचन में क्रम संख्या .....122..... वाला डाक मतपत्र जारी किया गया है।

तारीख .....12../..08...../..2026.....
पता ..... सुनारों का मौहल्ला,पावटा .....

सुमित कुमार
मतदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

उपरिवर्णित पर, ... सुमित कुमार ..... (मतदाता) ने, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ/या जिसकी .....किशन कुमार..... ..... (पहचानने वाला) ने, जिसें मैं स्वयं जानता हूँ, ने मेरे समाधानप्रद रूप में पहचान की है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

प्रभा देवी
अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर

यदि कोई पहचानने वाला है तो उसके हस्ताक्षर ..... किशन कुमार .....

पता सुनारों का मौहल्ला,पावटा

पदनाम .....प्रधानाचार्य.....
पता .....राउमावि,सेवना
तारीख .....14.08.2026.....

*जो शब्द लागू न हो, उसे काट देवें।

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

घोषणा + अनुप्रमाणन खण्ड — अनुप्रमाणक के हस्ताक्षर, पदनाम, पता (नाम काल्पनिक)

- **PRO की भूमिका** — आप *अनुप्रमाणन अधिकारी* बन सकते हैं — राजपत्रित अधिकारी अथवा उस केन्द्र का PRO जहाँ वह ड्यूटी पर है।
- **आप क्या करेंगे** — पहचान से संतुष्ट होकर, अपनी उपस्थिति में हस्ताक्षर कराएँ; अपने हस्ताक्षर, पदनाम एवं पता लिखें।
- **आप क्या नहीं करेंगे** — मतपत्र न देखें, न पूछें कि किसे मत दिया — मतदाता को भी यह बताना मना है।
- **चिन्ह की छूट** — मतपत्र पर टिक अथवा क्रॉस भी मान्य है (सां.आ. 157 स्पष्टीकरण-I) — केवल ऐरोक्रॉस ही आवश्यक नहीं।

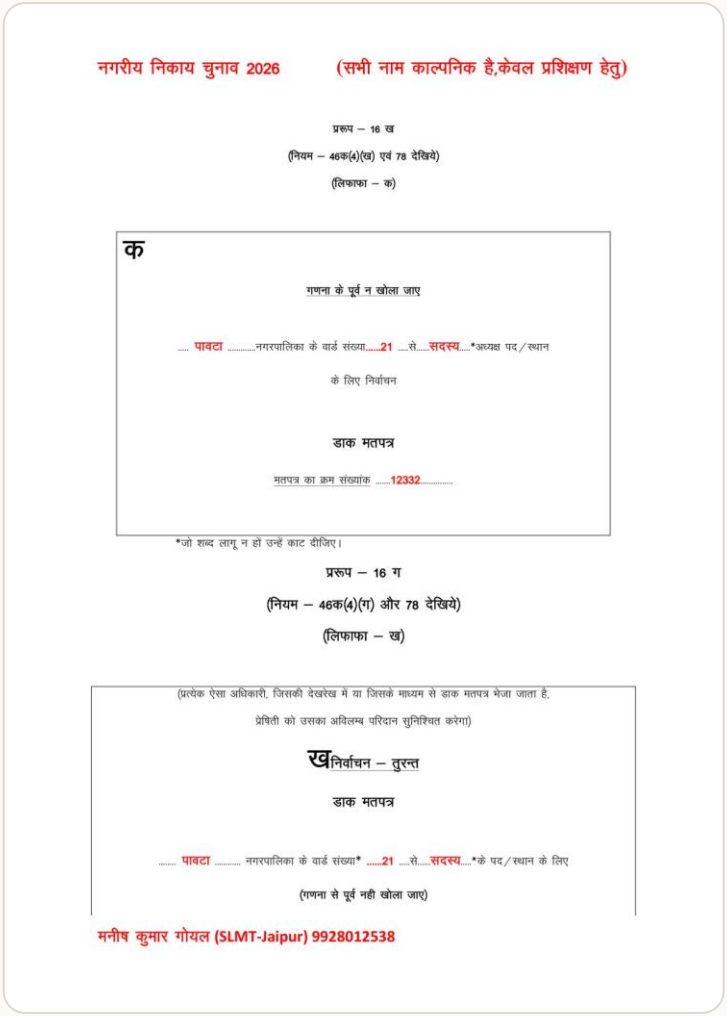
इस नमूने में दोष

16-क में लिखा है "...क्रम संख्या 122 वाला डाक मतपत्र जारी किया गया है", जबकि उसी निर्वाचक के 16-ख (अगला पृष्ठ) में मतपत्र का क्रम संख्यांक 12332 है — "122" वास्तव में इसी नमूना-समूह की मतदान केन्द्र/भाग संख्या है (पृ. 9, 10, 36 पर वही 122 केन्द्र-संख्या के रूप में) — सही अंक 12332 है; दो प्रपत्रों पर दो क्रमांक हों तो वह मतपत्र मतगणना में आपत्तियोग्य हो जाएगा (सुधार-पत्रक मद 1-ण)। कक्षा में दोनों पृष्ठ साथ दिखाकर पूछें — "कौन-सा अंक मतपत्र का है?"

स्रोत: नियम 46-क(4)(क) एवं 78; सां.आ. 157 स्पष्टीकरण-I; आदेश 1418 मद 12(घ); सुधार-पत्रक मद 1-ण

प्ररूप 16-ख (लिफाफा 'क') एवं 16-ग (लिफाफा 'ख')

पूरक



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप – 16 ख

(नियम – 46क(4)(ख) एवं 78 देखिये)

(लिफाफा – क)

क

गणना के पूर्व न खोला जाए

..... पावटा ..... नगरपालिका के वार्ड संख्या.....21 .....से.....सदस्य.....*अध्यक्ष पद/स्थान के लिए निर्वाचन

डाक मतपत्र

मतपत्र का क्रम संख्यांक .....12332.....

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दीजिए।

प्ररूप – 16 ग

(नियम – 46क(4)(ग) और 78 देखिये)

(लिफाफा – ख)

(प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जिसकी देखरेख में या जिसके माध्यम से डाक मतपत्र भेजा जाता है, प्रेषिती को उसका अविलम्ब परिदान सुनिश्चित करेगा)

खनिर्वाचन – तुरन्त

डाक मतपत्र

..... पावटा ..... नगरपालिका के वार्ड संख्या* .....21 .....से.....सदस्य.....*के पद/स्थान के लिए

(गणना से पूर्व नही खोला जाए)

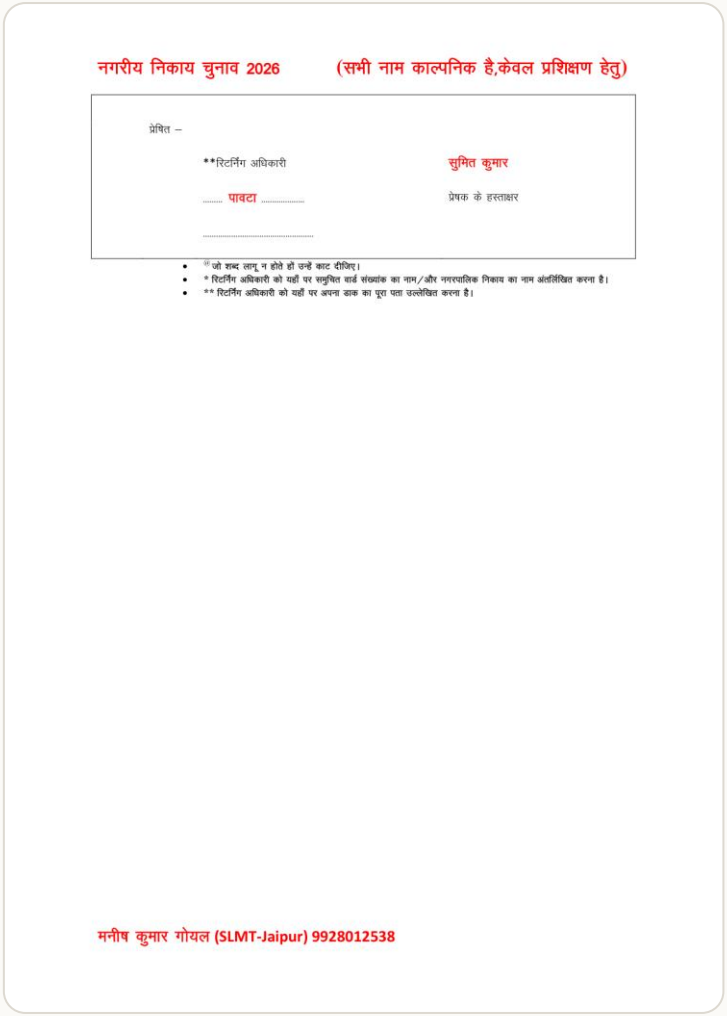
मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

एक ही पृष्ठ पर दोनों — ऊपर छोटा लिफाफा 'क', नीचे बड़ा लिफाफा 'ख'

- **लिफाफा 'क' (16-ख)** — इसी में केवल मतपत्र जाएगा; ऊपर छपा है "गणना के पूर्व न खोला जाए"। मतपत्र का क्रम संख्यांक यहीं लिखा जाता है — नमूने का 12332 ✅ सही अंक है।
- **लिफाफा 'ख' (16-ग)** — इसमें बंद लिफाफा 'क' + प्ररूप 16-क की घोषणा दोनों जाएँगे; बाहर "निर्वाचन — तुरन्त" अंकित है।
- **मतदाता के पूरे हस्ताक्षर** — लिफाफे 'ख' पर दिए गए स्थान में मतदाता को पूरे हस्ताक्षर करने होंगे — यह छूटने पर मत नामंजूर हो सकता है।
- **कभी न करें** — घोषणा और मतपत्र एक ही लिफाफे में — इससे गोपनीयता भंग होती है और मत नामंजूर होता है।

स्रोत: नियम 46-क(4)(ख) एवं (ग), 78

लिफाफा 'ख' का प्रेषण-भाग — RO को संबोधन



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्रेषित –

**रिटर्निंग अधिकारी

..... पावटा .....

.....

सुमित कुमार

प्रेषक के हस्ताक्षर

- जो शब्द लागू न होते हों उन्हें काट दीजिए।
- * रिटर्निंग अधिकारी को यहाँ पर समुचित वार्ड संख्यांक का नाम/और नगरपालिक निकाय का नाम अंतर्लिखित करना है।
- ** रिटर्निंग अधिकारी को यहाँ पर अपना डाक का पूरा पता उल्लेखित करना है।

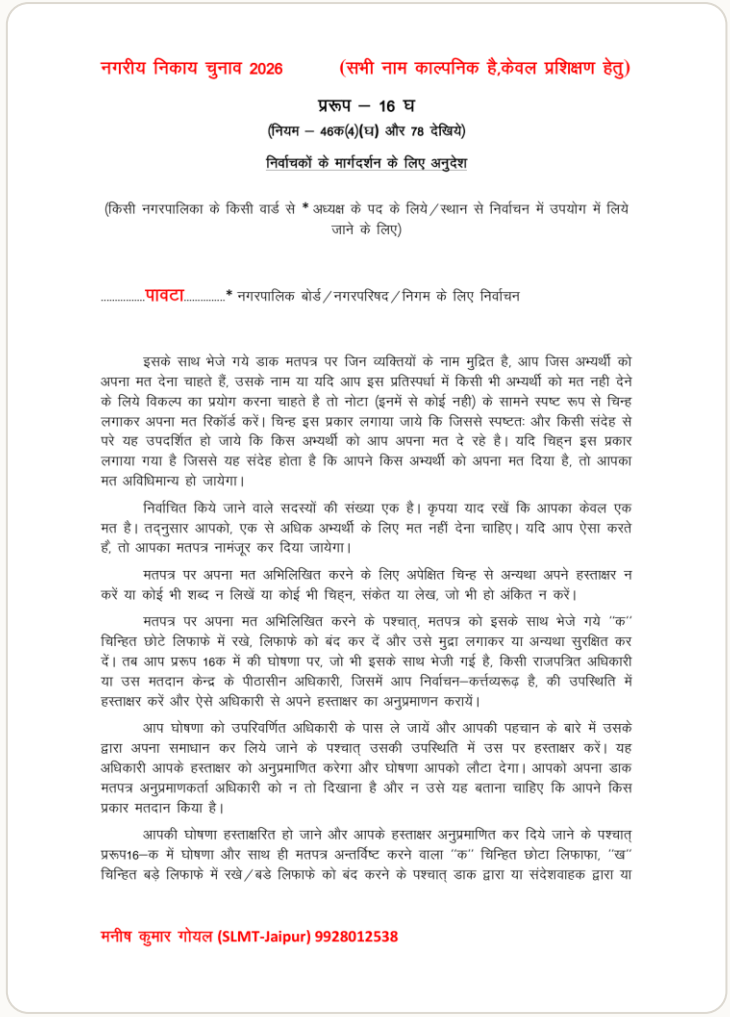
मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

प्रेषिती: रिटर्निंग अधिकारी; नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर एवं दो पाद-टिप्पणियाँ

- **RO का काम** — RO को यहाँ अपना पूरा डाक-पता तथा समुचित वार्ड संख्या/निकाय का नाम पहले से अंकित करना है — यह मतदाता का काम नहीं।
- **प्रेषक** — नीचे मतदाता (प्रेषक) के हस्ताक्षर।
- **समय-सीमा** — लिफाफा RO के पास मतगणना प्रारम्भ के लिए नियत तारीख व समय से *पूर्व* पहुँचना अनिवार्य — देर से पहुँचा मत गिना नहीं जाएगा।
- **PRO के लिए** — बूथ पर यह प्रपत्र नहीं भरा जाता; प्रशिक्षण में केवल यह दिखाएँ कि निर्वाचन-ड्यूटी वाले साथी की गलती कहाँ होती है।

स्रोत: नियम 46-क(4)(ग) एवं 78

प्ररूप 16-घ — निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप – 16 घ

(नियम – 46क(4)(घ) और 78 देखिये)

निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश

(किसी नगरपालिका के किसी वार्ड से * अध्यक्ष के पद के लिये/स्थान से निर्वाचन में उपयोग में लिये जाने के लिए)

.....पावटा.....* नगरपालिक बोर्ड/नगरपरिषद/निगम के लिए निर्वाचन

इसके साथ भेजे गये डाक मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित है, आप जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहते हैं, उसके नाम या यदि आप इस प्रतिस्पर्धा में किसी भी अभ्यर्थी को मत नही देने के लिये विकल्प का प्रयोग करना चाहते है तो नोटा (इनमें से कोई नही) के सामने स्पष्ट रूप से चिन्ह लगाकर अपना मत रिकॉर्ड करें। चिन्ह इस प्रकार लगाया जाये कि जिससे स्पष्टतः और किसी संदेह से परे यह उपदर्शित हो जाये कि किस अभ्यर्थी को आप अपना मत दे रहे है। यदि चिह्न इस प्रकार लगाया गया है जिससे यह संदेह होता है कि आपने किस अभ्यर्थी को अपना मत दिया है, तो आपका मत अविधिमान्य हो जायेगा।

निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है। कृपया याद रखें कि आपका केवल एक मत है। तद्नुसार आपको, एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मत नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपका मतपत्र नामंजूर कर दिया जायेगा।

मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के लिए अपेक्षित चिन्ह से अन्यथा अपने हस्ताक्षर न करें या कोई भी शब्द न लिखें या कोई भी चिह्न, संकेत या लेख, जो भी हो अंकित न करें।

मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात्, मतपत्र को इसके साथ भेजे गये "क" चिन्हित छोटे लिफाफे में रखे, लिफाफे को बंद कर दें और उसे मुद्रा लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर दें। तब आप प्ररूप 16क में की घोषणा पर, जो भी इसके साथ भेजी गई है, किसी राजपत्रित अधिकारी या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी, जिसमें आप निर्वाचन–कर्त्तव्यरूढ़ है, की उपस्थिति में हस्ताक्षर करें और ऐसे अधिकारी से अपने हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन करायें।

आप घोषणा को उपरिवर्णित अधिकारी के पास ले जायें और आपकी पहचान के बारे में उसके द्वारा अपना समाधान कर लिये जाने के पश्चात् उसकी उपस्थिति में उस पर हस्ताक्षर करें। यह अधिकारी आपके हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करेगा और घोषणा आपको लौटा देगा। आपको अपना डाक मतपत्र अनुप्रमाणकर्ता अधिकारी को न तो दिखाना है और न उसे यह बताना चाहिए कि आपने किस प्रकार मतदान किया है।

आपकी घोषणा हस्ताक्षरित हो जाने और आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित कर दिये जाने के पश्चात् प्ररूप16–क में घोषणा और साथ ही मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाला "क" चिन्हित छोटा लिफाफा, "ख" चिन्हित बड़े लिफाफे में रखे/बडे लिफाफे को बंद करने के पश्चात् डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा या

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

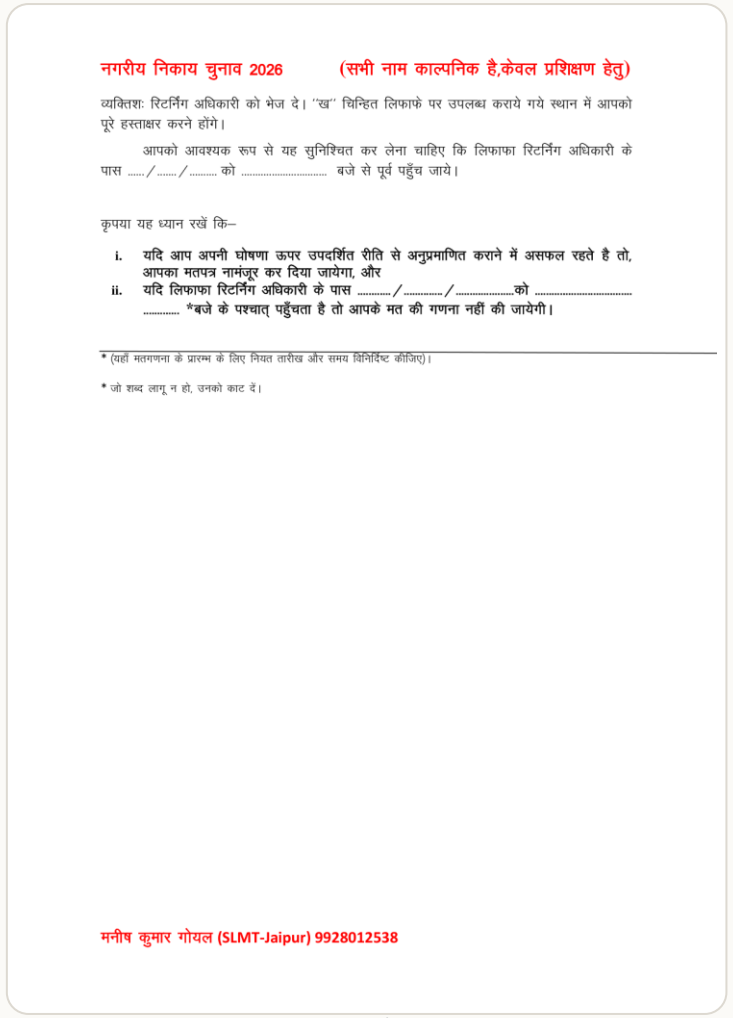
मतपत्र पर चिन्ह लगाने, लिफाफों में रखने एवं अनुप्रमाणन कराने के अनुदेश

- **एकल पद की पुष्टि** — प्रपत्र स्वयं कहता है — "निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है... आपका केवल एक मत है" — यह 2026 के इस निर्वाचन से मेल खाता है।
- **नोटा का उल्लेख** — अनुदेश में नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प स्पष्ट रूप से दिया गया है — इसे कक्षा में पढ़वाएँ।
- **अवैध कब** — हस्ताक्षर, शब्द, कोई अन्य चिन्ह/संकेत/लेख अंकित करने पर मत अवैध; संदेह हो कि किसे दिया — तब भी अवैध।
- **अगला पृष्ठ (p020)** — तारीख व समय के खाने खाली छपे हैं — RO इन्हें मतगणना की नियत तारीख-समय से भरकर ही भेजे; खाली भेजा गया सेट मतदाता को भ्रमित करेगा।

स्रोत: नियम 46-क(4)(घ) एवं 78; पृष्ठ 19–20 एक ही प्रपत्र के दो भाग

16-घ का दूसरा पृष्ठ — समय-सीमा वाले खाने खाली छपे हैं

पूरक



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

व्यक्तिशः रिटर्निंग अधिकारी को भेज दे। "ख" चिन्हित लिफाफे पर उपलब्ध कराये गये स्थान में आपको पूरे हस्ताक्षर करने होंगे।

आपको आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि लिफाफा रिटर्निंग अधिकारी के पास ...../...../..... को ..... बजे से पूर्व पहुँच जाये।

कृपया यह ध्यान रखें कि–

i. यदि आप अपनी घोषणा ऊपर उपदर्शित रीति से अनुप्रमाणित कराने में असफल रहते है तो, आपका मतपत्र नामंजूर कर दिया जायेगा, और

ii. यदि लिफाफा रिटर्निंग अधिकारी के पास ...../...../.....को .... *बजे के पश्चात् पहुँचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जायेगी।

* (यहाँ मतगणना के प्रारम्भ के लिए नियत तारीख और समय विनिर्दिष्ट कीजिए)।

* जो शब्द लागू न हो, उनको काट दें।

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

लिफाफा 'ख' पर पूरे हस्ताक्षर; दो चेतावनियाँ (i) एवं (ii); तारीख-समय के रिक्त स्थान

- **दो चेतावनियाँ** — (i) घोषणा अनुप्रमाणित न कराई तो मतपत्र नामंजूर; (ii) लिफाफा नियत तारीख-समय के बाद पहुँचा तो मत की गणना नहीं होगी।
- **खाली खाने किसके** — "यहाँ मतगणना के प्रारम्भ के लिए नियत तारीख और समय विनिर्दिष्ट कीजिए" — यह RO भरेगा, मतदाता नहीं।
- **सेट भेजने से पहले** — RO इन खानों को भरे बिना सेट भेजे तो मतदाता को पता ही नहीं चलेगा कि कब तक भेजना है — यह मत नामंजूर होने का सबसे आम कारण है।
- **PRO के लिए** — बूथ पर यह पृष्ठ नहीं भरा जाता; निर्वाचन-ड्यूटी वाले साथियों को केवल यह चेतावनी दोहरा दें।

स्रोत: नियम 46-क(4)(घ) एवं 78

डाक मतपत्र में PRO वास्तव में क्या करता है — तीन काम, बस

नया

1 · अनुप्रमाणन

ड्यूटी पर तैनात निर्वाचक की प्ररूप 16-क की घोषणा पर अनुप्रमाणन — पहचान से संतुष्ट होकर, अपनी उपस्थिति में हस्ताक्षर कराकर।

2 · EDC धारक को मतदान

प्ररूप 16 लेकर आए निर्वाचक को अपने केन्द्र पर मत देने देना; 14-क में प्रविष्टि; EDC → E-8; डायरी मद 14।

3 · चिन्हित प्रति की जाँच

मतदान से पूर्व यह घोषित करना कि चिन्हित प्रति में 'पी बी' एवं 'ई डी सी' के अलावा कोई चिन्ह नहीं है (परिशिष्ट-6 भाग-1(ब))।

जो PRO कभी नहीं करेगा

डाक मतपत्र जारी करना, वापस लेना, खोलना या उसकी गिनती — यह पूरी तरह RO का क्षेत्र है। 'पी बी' चिन्हित निर्वाचक आपके केन्द्र पर मत देने नहीं आ सकता; उसका नाम चिन्हित प्रति में पहले से चिन्हित मिलेगा।

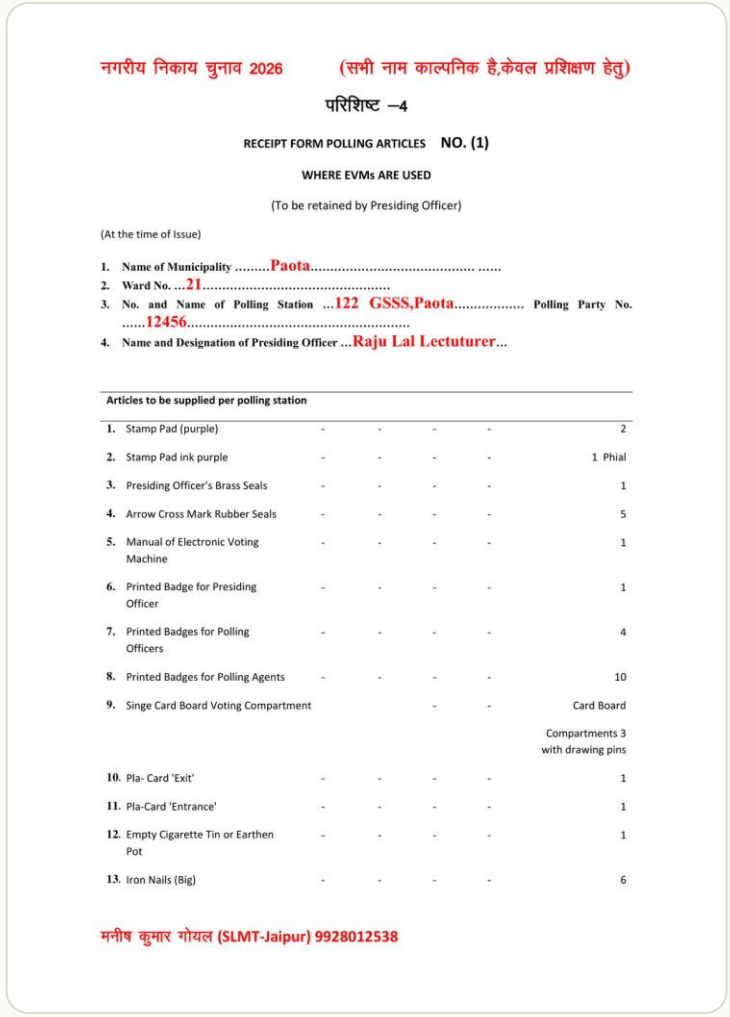
स्रोत: नियम 46-क(4)(क); नियम 46; मार्गदर्शिका अ.3; परिशिष्ट-6 भाग-1(ब)

06

सामग्री की प्राप्ति, लिफाफे एवं जमा

परिशिष्ट-4 की दोनों रसीदें · E-1 से E-14 · तीन काउंटर · परिशिष्ट-5 ले-आउट

परिशिष्ट-4 · रसीद प्रपत्र सं. (1) — मतदान सामग्री



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

परिशिष्ट –4

RECEIPT FORM POLLING ARTICLES NO. (1)

WHERE EVMs ARE USED

(To be retained by Presiding Officer)

(At the time of Issue)

1. Name of Municipality .....Paota.....
2. Ward No. ...21.....
3. No. and Name of Polling Station ...122 GSSS,Paota..... Polling Party No. .....12456.....
4. Name and Designation of Presiding Officer ...Raju Lal Lectuturer...

Articles to be supplied per polling station	
1. Stamp Pad (purple)	2
2. Stamp Pad ink purple	1 Phial
3. Presiding Officer's Brass Seals	1
4. Arrow Cross Mark Rubber Seals	5
5. Manual of Electronic Voting Machine	1
6. Printed Badge for Presiding Officer	1
7. Printed Badges for Polling Officers	4
8. Printed Badges for Polling Agents	10
9. Singe Card Board Voting Compartment	Card Board Compartments 3 with drawing pins
10. Pla- Card 'Exit'	1
11. Pla-Card 'Entrance'	1
12. Empty Cigarette Tin or Earthen Pot	1
13. Iron Nails (Big)	6

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

"To be retained by Presiding Officer" — मद 1 से 13 (अंक काल्पनिक)

- **यह आपके पास रहेगी** — प्रपत्र पर ही छपा है — यह रसीद PRO अपने पास रखता है; जमा नहीं होती।
- **शीर्ष के पाँच खाने** — निकाय · वार्ड सं. · केन्द्र सं. व नाम · पोलिंग पार्टी नं. · PRO का नाम व पदनाम — पाँचों भरें।
- **गिनकर लें** — स्टाम्प पैड (2) · बैंगनी स्याही (1 शीशी) · PRO की पीतल सील (1) · ऐरोक्रॉस मार्क रबर सील (5) · EVM मैनुअल (1) · बैज।
- **हस्ताक्षर दोनों के** — नीचे जारीकर्ता अधिकारी एवं PRO — दोनों के हस्ताक्षर; पार्टी नं. भी लिखा जाए।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-4 (मु.पृ. 104–106)

रसीद सं. (1) का दूसरा पृष्ठ — मद 14 से 33

पूरक

नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

14.	Iron Nails (Small)	5
15.	Moonj Rope	15 Metre
16.	Cloth piece or rag	1
17.	Indelible Ink Phial of 10 cc	1 (one each)
18.	Pink Paper Seals	4
19.	ABCD STRIP SEALS	3
20.	Rubber Seal for distinguishing mark	1
21.	Special Tag	3
22.	Dummy Ballot Sheet	1
23.	Craft Wrapping Paper (17"x27") or unbleached sheet or polythin bags	3
24.	Alpins	10
25.	Candle Sticks	3
26.	Sealing Wax Stick	3
27.	Twine for EVM	2 Metres
28.	Country Twin or Sutli	12 Metres
29.	Flexible wire	1 Metres
30.	Electronic Voting Machine	
	(a) Control Unit	1
	(b) Ballot Unit	As per requirement
31.	Glue Bottle	1
32.	Unbleached or White Paper (17"x27")	2 Sheets
33.	Carbon Paper (17"x27")	2 Sheets

Out right payment at discretion of the Collector (D.E.O.) has been fixed for the following articles:-

1. Ball Pen, 2. Blade, 3. Match Box, 4. Lota, 5. Bucket, 7. Lock and 8. Bamboos.

Santosh Kumar — Raju Lal

Signature of Issuing Officer — Signature of Presiding Officer

Office of the District Municipal Election Officer …Kotputli-Bahror..... (District) — Party No. .....12456.....

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

पिंक पेपर सील · ABCD स्ट्रिप सील · स्पेशल टैग · CU-BU · कलेक्टर के विवेक पर नकद-भुगतान सामग्री

- **सबसे संवेदनशील चार** — पिंक पेपर सील (4) · ABCD स्ट्रिप सील (3) · स्पेशल टैग (3) · सुभिन्नकारी चिन्ह की रबर सील (1) — इन्हीं का लेखा 14-ग व डायरी में देना है।
- **EVM** — मद 30 — कंट्रोल यूनिट 1, बैलट यूनिट आवश्यकतानुसार; एकल सदस्य पद है, अतः सामान्यतः 1 BU।
- **नकद-भुगतान वाली सामग्री** — बॉल पेन, ब्लेड, माचिस, लोटा, बाल्टी, ताला, बाँस — कलेक्टर (DEO) के विवेक पर एकमुश्त भुगतान।
- **साथ जाँचें** — स्याही-अनुदेश वाले आदेश 1408 दि. 04.02.2026 की एक प्रति आपकी किट में होनी चाहिए (आदेश का पैरा 3)।

कक्षा के लिए मिलान-अभ्यास

इस रसीद की मद 21 "Special Tag — 3" कहती है, जबकि इसी काल्पनिक केन्द्र की डायरी (पृ. 30) की मद 7 कहती है "आपूर्ति किये गये स्पेशल टैग — 04, क्रम 123 से 126"। दोनों अंक एक ही केन्द्र के हैं और मेल नहीं खाते। यह असंगति परियोजना के सुधार-पत्रक में दर्ज नहीं है, अतः इसे "सही उत्तर" के रूप में न पढ़ाएँ — कक्षा से केवल यह कराएँ: "जो वास्तव में मिले हैं उन्हें गिनिए, क्रम संख्या से मिलाइए, और रसीद पर वही अंक लिखवाइए।"

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-4; आदेश 1408 दि. 04.02.2026 (स्याही); आदेश 2205 दि. 04.07.2019 (अंगुली)

परिशिष्ट-4 · रसीद प्रपत्र सं. (2) — प्रपत्र एवं लिफाफे

सुधार

नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

RECEIPT FORM

WHERE EVMs ARE USED

Forms and Envelopes

NO. (2)

(At the time of Issue) (To be Retained by Presiding Officer)

1. Name of Municipality .....Paota.....
2. Ward No. .....21.....
3. No. and Name of Polling Station .....122 Govt Sr.Sec.School,Paota.....
4. Polling Party No. .....12456.....
5. Name and Designation of Presiding Officer ...Raju Lal Principal GSSS,Sewna.....

Forms etc.			Quantity
1. Ballot Papers (for Tendered votes)			20
2. Working Copies of E. Rolls	-	-	3
3. Form of declaration by Presiding Officer before commencement, during poll and after close of Poll	-	1	1
4. Form 13-List of Challanged Votes	-	-	1
5. Form 12-List of Blind and Infirm Voters	-	-	1
6. Form 14B-List of Tendered Votes	-	-	1
7. Form 14C-Account of votes recorded and Paper Seal Account	-	1	1
8. Form-Presiding Officer's Diary	-	-	1
9. Form-Declaration by companion of blind and Infirm Voters	-	-	5
10. Receipt Book of Challanged fee (containing 5 leaves each)	-	-	1
11. Address Tags for Control Unit	-	-	5
12. Address Tags for Ballot Unit	-	-	4 for each BU
13. Card Board Piece for EVM	-	-	4
14. Notice of Polling area under rule 30A (1) (a) alongwith hours of poll and closure	-	-	1
15. Notice of contesting candidates under rule 30A (1) (b)	-	-	1
16. List of Polling Station (relevant Portion)	-	-	1

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

मद 1 से 16 — निविदत्त मतपत्र, नामावली की वर्किंग प्रतियाँ, सभी प्रपत्रों की संख्या

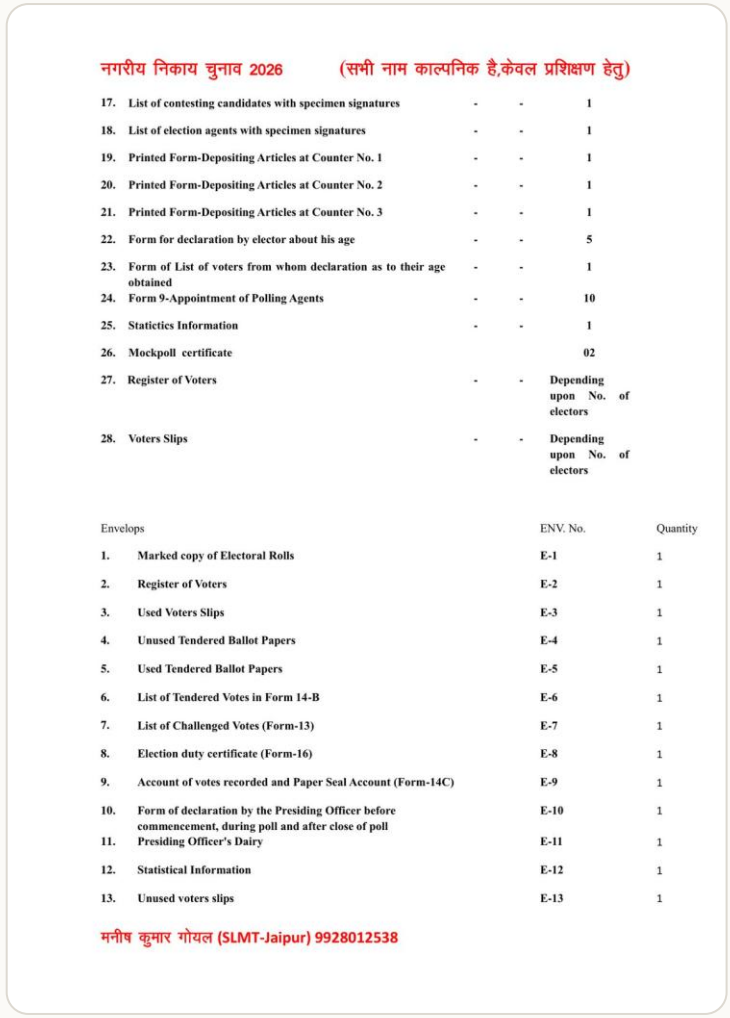
- **मद 1 — निविदत्त मतपत्र 20** — यही सही अंक है (मार्गदर्शिका अ.8(1)); 14-ग की मद 8(क) इसी से मिलनी चाहिए।
- **मद 2 — नामावली की वर्किंग प्रतियाँ 3** — इनमें से एक ही "चिन्हित प्रति" बनेगी → E-1; शेष → E-14।
- **मद 26 (अगला पृष्ठ) — मॉकपोल प्रमाणपत्र 02** — यह परिशिष्ट-19 है — रसीद उसे गिनती है, पर पुस्तिका में उसका पृष्ठ ही नहीं।
- **मद 19–21** — तीनों काउंटरों पर सामग्री जमा कराने के मुद्रित प्रपत्र — 1-1 — इन्हीं से तीन-काउंटर की व्यवस्था प्रमाणित होती है।

इस नमूने में दोष

यह पृष्ठ मद 1 में "Ballot Papers (for Tendered votes) — 20" कहता है जबकि इसी केन्द्र के प्ररूप 14-ग (पृ. 9) की मद 8(क) "प्राप्त 10" कहती है — मार्गदर्शिका अ.8(1) से पुष्ट है कि प्रत्येक केन्द्र को बीस मतपत्र दिए जाते हैं, अतः इस पृष्ठ का 20 ✅ सही है और पृ. 9 का 10 ❌ गलत — कक्षा में दोनों पृष्ठ साथ दिखाकर पूछें: "रसीद 20 कहती है, लेखा 10 — आप क्या करेंगे?" (सुधार-पत्रक मद 1-ङ)।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-4; अ.8(1); सुधार-पत्रक मद 1-ङ

रसीद सं. (2) — लिफाफों की सूची E-1 से E-13



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

17.	List of contesting candidates with specimen signatures	- -	1
18.	List of election agents with specimen signatures	- -	1
19.	Printed Form-Depositing Articles at Counter No. 1	- -	1
20.	Printed Form-Depositing Articles at Counter No. 2	- -	1
21.	Printed Form-Depositing Articles at Counter No. 3	- -	1
22.	Form for declaration by elector about his age	- -	5
23.	Form of List of voters from whom declaration as to their age obtained	- -	1
24.	Form 9-Appointment of Polling Agents	- -	10
25.	Statictics Information	- -	1
26.	Mockpoll certificate		02
27.	Register of Voters	- -	Depending upon No. of electors
28.	Voters Slips	- -	Depending upon No. of electors

Envelops		ENV. No.	Quantity
1.	Marked copy of Electoral Rolls	E-1	1
2.	Register of Voters	E-2	1
3.	Used Voters Slips	E-3	1
4.	Unused Tendered Ballot Papers	E-4	1
5.	Used Tendered Ballot Papers	E-5	1
6.	List of Tendered Votes in Form 14-B	E-6	1
7.	List of Challenged Votes (Form-13)	E-7	1
8.	Election duty certificate (Form-16)	E-8	1
9.	Account of votes recorded and Paper Seal Account (Form-14C)	E-9	1
10.	Form of declaration by the Presiding Officer before commencement, during poll and after close of poll	E-10	1
11.	Presiding Officer's Dairy	E-11	1
12.	Statistical Information	E-12	1
13.	Unused voters slips	E-13	1

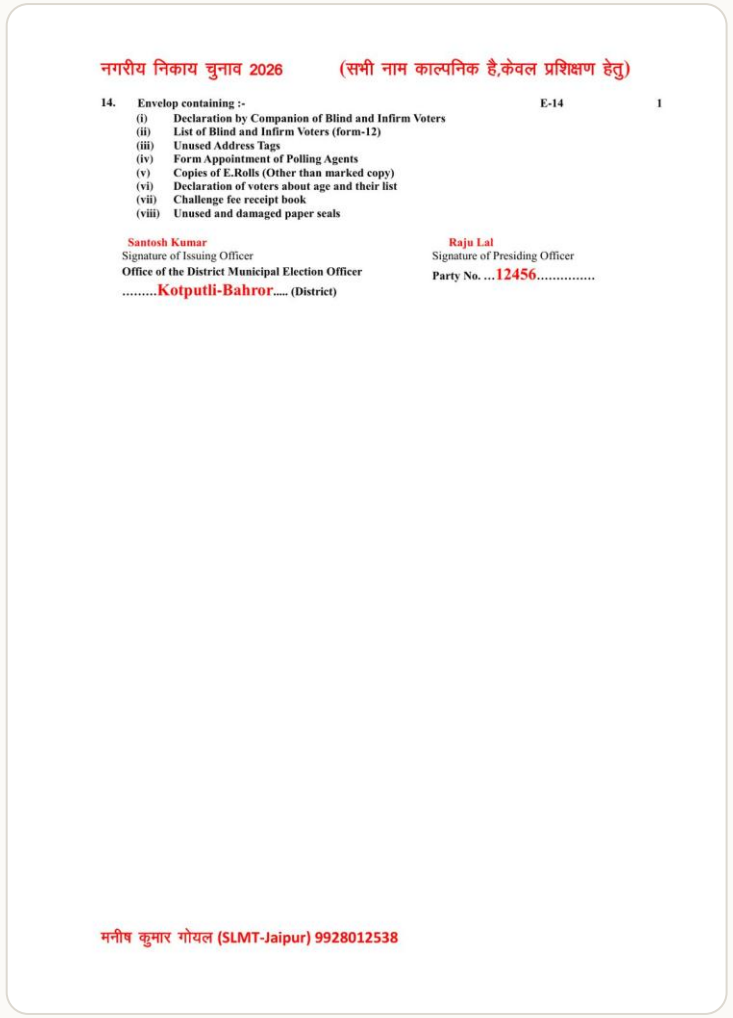
मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

मद 17–28 (प्रपत्र) एवं "Envelops" की सूची E-1 से E-13, प्रत्येक की मात्रा 1

- **प्रत्येक एक-एक** — हर लिफाफा प्रति केन्द्र एक — यह "बूथवार" तैयारी है, वार्डवार नहीं।
- **मद 22–23** — आयु-घोषणा का प्रपत्र (परिशिष्ट-10) 5 प्रतियाँ एवं उनकी सूची (परिशिष्ट-11) 1 — दोनों साथ माँगें।
- **मद 27–28** — मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्चियाँ — निर्वाचकों की संख्या के अनुसार; गिनकर लें।
- **सूची यहीं मिलेगी** — E-12 "Statistical Information" इसी सूची में है — पर उसका विहित प्रारूप किसी स्रोत में नहीं मिला (आगे की स्लाइड देखें)।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-4 एवं 15A; नियम 48-क

E-14 — विविध कागजातों का लिफाफा (आठ अन्तर्वस्तुएँ)



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

14. Envelop containing :- E-14 1

(i) Declaration by Companion of Blind and Infirm Voters
(ii) List of Blind and Infirm Voters (form-12)
(iii) Unused Address Tags
(iv) Form Appointment of Polling Agents
(v) Copies of E.Rolls (Other than marked copy)
(vi) Declaration of voters about age and their list
(vii) Challenge fee receipt book
(viii) Unused and damaged paper seals

Santosh Kumar
Signature of Issuing Officer
Office of the District Municipal Election Officer
.....Kotputli-Bahror..... (District)

Raju Lal
Signature of Presiding Officer
Party No. ...12456.....

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

E-14 की आठ उप-मदें (i) से (viii); नीचे दोनों हस्ताक्षर एवं पार्टी नं.

- **क्या-क्या भीतर** — साथी की घोषणाएँ (परि-12) · दृष्टिहीन/शिथिलांग की सूची (प्ररूप 12) · अप्रयुक्त एड्रेस टैग · प्ररूप 9 (व प्राप्त प्ररूप 10)।
- **और भी** — नामावली की अन्य/कार्यकारी प्रतियाँ (चिन्हित प्रति छोड़कर) · आयु-घोषणाएँ व सूची (परि-10, 11) · चैलेन्ज फीस रसीद बुक (परि-13) · अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सीलें।
- **सील नहीं** — E-14 बिना सील का लिफाफा है — काउंटर-2 पर जाएगा।
- **शून्य पर भी** — कोई उप-मद शून्य हो तो भी लिफाफा बनेगा — प्रपत्र पर "शून्य" लिखकर हस्ताक्षर करके रखें।

पूरा लिफाफा-चार्ट — E-1 से E-14, कौन सील होगा कौन नहीं

नया

सीलबंद (चपड़ी से) — 8	अन्तर्वस्तु	बिना सील — 6	अन्तर्वस्तु
E-1	नामावली की चिन्हित प्रति	E-9	प्ररूप 14-ग (एक प्रति) — लिफाफे पर "Account of Votes Recorded" लिखना अनिवार्य
E-2 · E-3	मतदाताओं का रजिस्टर (14-क) · प्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ	E-10	परिशिष्ट-6 की तीनों घोषणाएँ + परिशिष्ट-19 मॉकपोल प्रमाणपत्र
E-4 · E-5 · E-6	अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र · प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र · 14-ख की सूची	E-11 · E-12	परिशिष्ट-7 डायरी + 14-ग की दूसरी प्रति · सांख्यिकीय सूचना
E-7 · E-8	प्ररूप 13 (चैलेन्ज्ड मतों की सूची) · प्ररूप 16 (EDC)	E-13 · E-14	अप्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ · विविध कागजात (आठ उप-मदें)

तीन नियम जो चार्ट के साथ चलते हैं

"E-1 से E-8 सीलबंद होंगे, जिसमें E-1 से E-6 का अलग पैकेट होगा।" सीलिंग अभ्यर्थी/अभिकर्ता की उपस्थिति में — उनकी सील भी लगने दें (नियम 48-क)।

सीलबंद पैकेट न्यायालय के आदेश के बिना नहीं खोले जा सकते (नियम 74-क(1)) — इसीलिए भीतर कुछ छूट जाना गंभीर है।

सभी लिफाफे चपड़ी से सील नहीं होंगे — चपड़ी अनावश्यक खराब न करें।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-15A (मु.पृ. 124), अ.11(6)-(7) एवं अ.13; नियम 48-क; नियम 74-क(1)

"शून्य हो तो भी हर लिफाफा बनेगा"

नया

नियम

"सभी लिफाफे तैयार करने हैं, चाहे सूचना शून्य ही क्यों न हो — प्रपत्र पर 'शून्य' लिखकर, हस्ताक्षर करके लिफाफे में बंद करें।"

सबसे अधिक छूटने वाले

E-4/E-5 (कोई निविदत्त मत न आया हो), E-7 (कोई चुनौती न हुई हो), E-8 (कोई EDC न आया हो) — ये तीन ही सबसे अधिक खाली छोड़े जाते हैं।

क्यों मायने रखता है

जमा-काउंटर पर लिफाफों की गिनती होती है; एक लिफाफा कम होने पर पूरी पार्टी रोक ली जाती है — और सीलबंद पैकेट फिर खोला नहीं जा सकता।

व्यावहारिक क्रम

रवानगी की रात ही चौदहों लिफाफों पर पृष्ठांकन (निकाय, वार्ड, केन्द्र सं.-नाम, अन्तर्वस्तु, दिनांक) लिख लें। शाम को केवल कागज़ भरकर बंद करना रह जाए — तभी 6 बजे के बाद का दबाव सँभलेगा।

स्रोत: मार्गदर्शिका अ.11(6)-(7); परिशिष्ट-15A; नियम 48-क

जमा कराने के तीन काउंटर — क्या कहाँ जाएगा

नया

काउंटर 1 — स्ट्रांग रूम

(1) सीलबंद CU एवं BU

(2) E-9 · (3) E-10 · (4) E-11 · (5) E-12

चारों बिना-सील लिफाफे मशीन के साथ यहीं — काउंटर-2 पर नहीं

काउंटर 2 — लिफाफे

सीलबंद E-1 से E-8 (E-1...E-6 का अलग पैकेट)

बिना-सील E-13 एवं E-14

काउंटर 3 — अन्य सामग्री

PRO की पीतल सील · पुस्तिकाएँ एवं EVM निर्देशिका · स्टाम्प पैड व इंक · अमिट स्याही की शीशियाँ · ऐरोक्रॉस सील · सुभिन्नकारी चिन्ह की सीलें · 'केन्सिल्ड' रबर सील · अप्रयुक्त यूनिट · कैनवास बैग · डमी बैलट शीट

तीन कड़े नियम

हर काउंटर से रसीद लेकर ही हटें — "लापरवाही क्षम्य नहीं"। रास्ते में कहीं न रुकें। DEO/RO सुविधानुसार थोड़ा फेर-बदल कर सकते हैं — उनका निर्देश शासी होगा। डायरी E-11 में जाती अवश्य है, पर वह स्ट्रांग रूम के भीतर सीलबंद सामग्री के साथ बंद नहीं होगी — आगे की स्लाइड देखें।

स्रोत: मार्गदर्शिका अ.13; आदेश 858 दि. 04.10.1999; नियम 50-क

पीठासीन अधिकारी की डायरी स्ट्रांग रूम में नहीं जाएगी

नया

1. **निषेध**
   डायरी किसी भी स्थिति में स्ट्रांग रूम में सीलबंद मतपेटी/मशीन के साथ न रखी जाए — वह RO/ARO की अभिरक्षा में रहेगी।
2. **अध्ययन अनिवार्य**
   सभी डायरियों का अध्ययन RO (अथवा मनोनीत ARO) करेगा — यह औपचारिकता नहीं है।
3. **पुनर्मतदान से पहले**
   नियम 53/55 के अधीन स्थगन/पुनर्मतदान की रिपोर्ट भेजने से *पूर्व* डायरी का अध्ययन अनिवार्य है।
4. **प्रशिक्षण की अपेक्षा**
   यही आदेश कहता है कि प्रशिक्षण में डायरी भरना विस्तार से समझाया जाए — यह आदेश की अपनी अपेक्षा है।

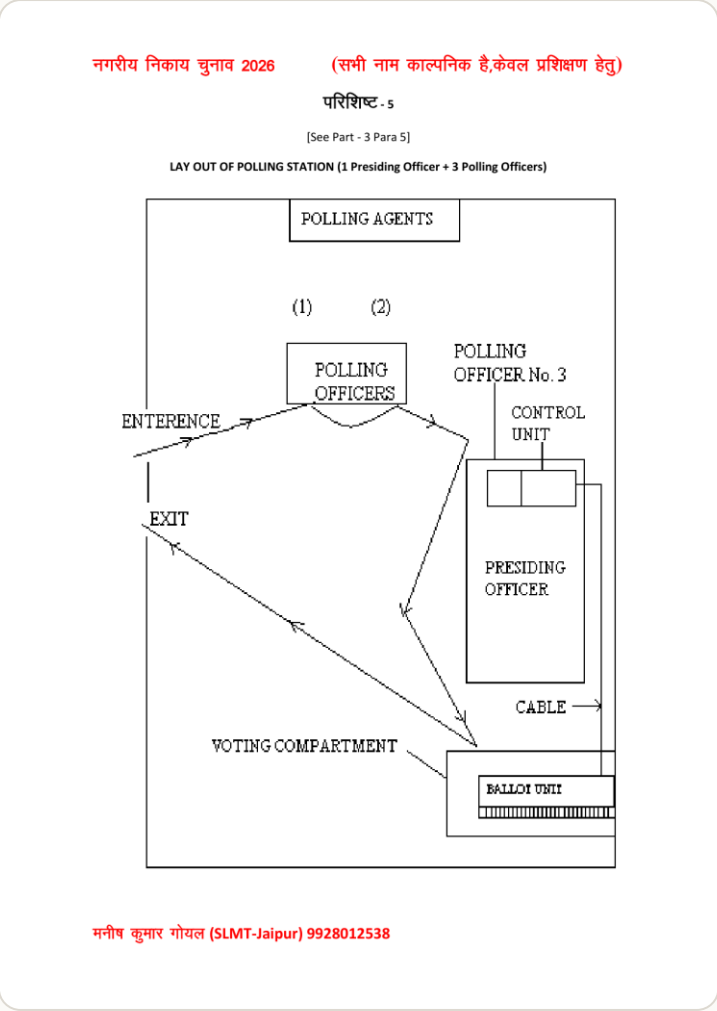
व्यवहार में इसका अर्थ

काउंटर-1 पर E-11 सौंपते समय यह देख लें कि प्राप्तकर्ता उसे मशीन के साथ भीतर न रख दे। यदि स्थानीय व्यवस्था अलग हो तो RO का लिखित निर्देश माँगें — आदेश 858 का हवाला देकर।

स्रोत: आदेश 858 दि. 04.10.1999 (संकलन क्रम 40, मु.पृ. 152)

परिशिष्ट-5 — मतदान केन्द्र का ले-आउट (1 PRO + 3 PO)

पूरक



केन्द्र का नक्शा — प्रवेश, निकास, मेज़ों का क्रम, मतदान कक्ष

- **CU कहाँ** — कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी की मेज़ पर — नियम 32-ख(6): CU पूर्ण दृष्टिगोचर रहे।
- **BU कहाँ** — मतदान कक्ष (कार्डबोर्ड कम्पार्टमेंट) के भीतर, गोपनीयता बनी रहे ऐसी स्थिति में।
- **प्रवेश-निकास** — अलग-अलग होंगे; 'Entrance' एवं 'Exit' के प्ला-कार्ड सामग्री में मिले हैं (रसीद सं.1 की मद 10–11)।
- **मेज़ों का क्रम** — PO-1 पहचान → PO-2 रजिस्टर, स्याही व पर्ची → PO-3 पर्ची व स्याही देखकर Ballot दबाएगा।
- **एक दिन पूर्व** — केन्द्र पर पहुँचकर ले-आउट इसी परिशिष्ट के अनुसार बनाएँ — मतदान की सुबह यह काम नहीं बचना चाहिए।

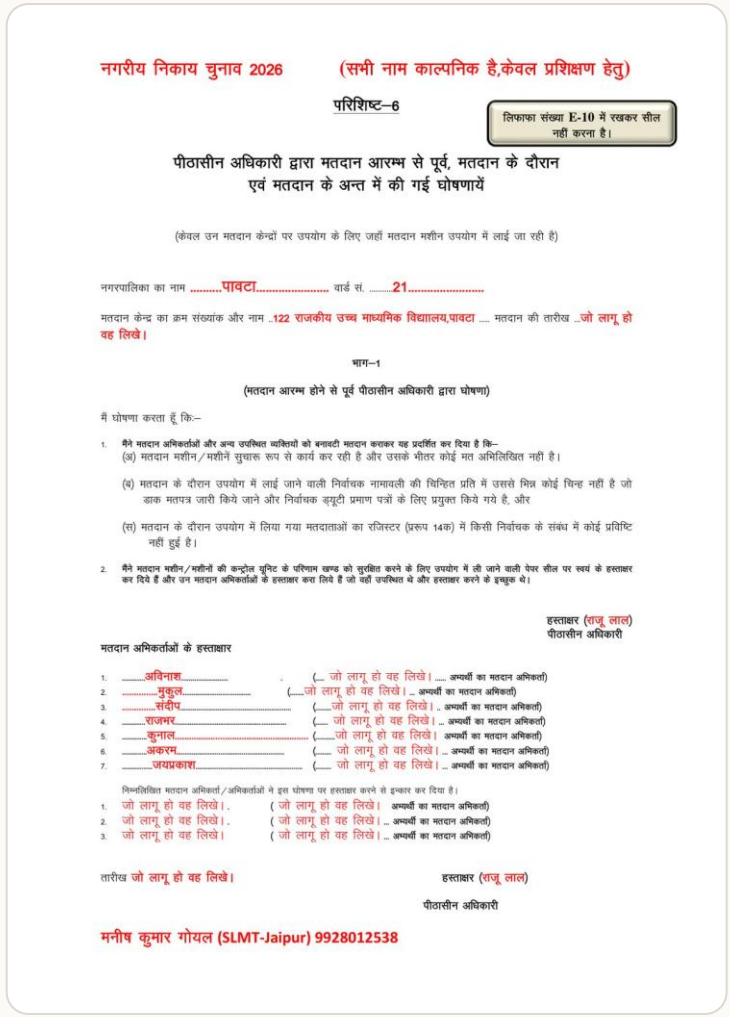
स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-5 (मु.पृ. 107); नियम 32-ख(6)

07

पीठासीन अधिकारी की घोषणाएँ एवं मॉकपोल

परिशिष्ट-6 के तीन भाग · परिशिष्ट-19 का प्रमाणपत्र · लिफाफा E-10

परिशिष्ट-6 भाग-1 — मतदान आरम्भ से पूर्व की घोषणा



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

परिशिष्ट–6

लिफाफा संख्या E-10 में रखकर सील नहीं करना है।

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान आरम्भ से पूर्व, मतदान के दौरान एवं मतदान के अन्त में की गई घोषणायें

(केवल उन मतदान केन्द्रों पर उपयोग के लिए जहाँ मतदान मशीन उपयोग में लाई जा रही है)

नगरपालिका का नाम .....पावटा..... वार्ड सं. .....21.....

मतदान केन्द्र का क्रम संख्यांक और नाम ..122 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,पावटा .... मतदान की तारीख ..जो लागू हो वह लिखे।

भाग–1

(मतदान आरम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा)

मैं घोषणा करता हूँ कि:–

1. मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बनावटी मतदान कराकर यह प्रदर्शित कर दिया है कि–
   (अ) मतदान मशीन/मशीनें सुचारू रूप से कार्य कर रही है और उसके भीतर कोई मत अभिलिखित नहीं है।
   (ब) मतदान के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उससे भिन्न कोई चिन्ह नहीं है जो डाक मतपत्र जारी किये जाने और निर्वाचक डयूटी प्रमाण पत्रों के लिए प्रयुक्त किये गये है, और
   (स) मतदान के दौरान उपयोग में लिया गया मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 14क) में किसी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं हुई है।
2. मैंने मतदान मशीन/मशीनों की कन्ट्रोल युनिट के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली पेपर सील पर स्वयं के हस्ताक्षर कर दिये हैं और उन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये हैं जो वहाँ उपस्थित थे और हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे।

हस्ताक्षर (राजू लाल)
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. .....अविनाश..... (... जो लागू हो वह लिखे।..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. .....मुकुल..... (....जो लागू हो वह लिखे।... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. .....संदीप..... (....जो लागू हो वह लिखे।... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. .....राजभर..... (... जो लागू हो वह लिखे।... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. .....कुनाल..... (....जो लागू हो वह लिखे।... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
6. .....अकरम..... (.... जो लागू हो वह लिखे।... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. .....जयप्रकाश..... (.... जो लागू हो वह लिखे।... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है।

1. जो लागू हो वह लिखे।. (जो लागू हो वह लिखे। अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. जो लागू हो वह लिखे।. (जो लागू हो वह लिखे।... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. जो लागू हो वह लिखे। (जो लागू हो वह लिखे।... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख जो लागू हो वह लिखे। हस्ताक्षर (राजू लाल)
पीठासीन अधिकारी

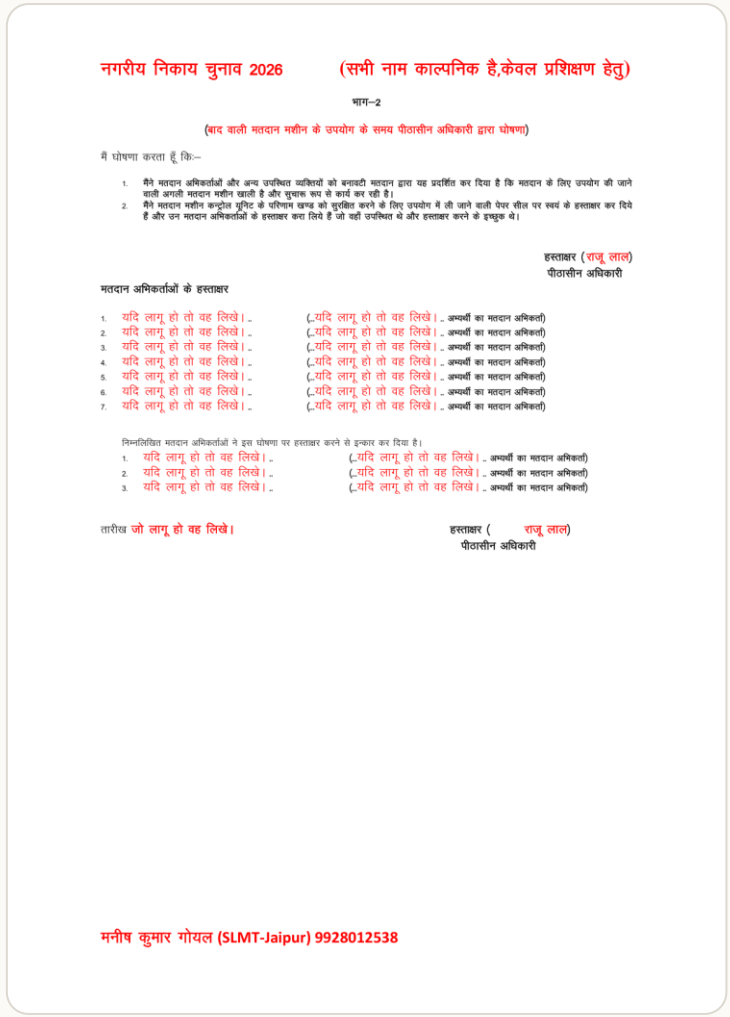
मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

भाग-1 · 7 अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर + 3 "इन्कार करने वालों" के खाने (नाम काल्पनिक)

- **कब** — मॉकपोल के तुरंत बाद, मतदान आरम्भ से पूर्व — अभिकर्ताओं के सामने।
- **तीन बातें घोषित होती हैं** — (अ) मशीन सुचारू है और भीतर कोई मत अभिलिखित नहीं; (ब) चिन्हित प्रति में 'पी बी'/'ई डी सी' के अलावा कोई चिन्ह नहीं; (स) 14-क में कोई प्रविष्टि नहीं है।
- **चौथी बात — मद 2** — पेपर सील पर आपके स्वयं के हस्ताक्षर, तथा उपस्थित एवं इच्छुक अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर।
- **इन्कार का खाना** — जो हस्ताक्षर से इन्कार करे उसका नाम "इन्कार" वाले खाने में लिखें — खाली न छोड़ें।
- **लिफाफा** — E-10 (बिना सील), साथ में परिशिष्ट-19 संलग्न; काउंटर-1। डायरी मद 29 से जुड़ी है।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-6 (मु.पृ. 108); केवल EVM वाले केन्द्रों हेतु

परिशिष्ट-6 भाग-2 — बाद वाली (नई) मशीन के उपयोग पर



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

भाग–2

(बाद वाली मतदान मशीन के उपयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा)

मैं घोषणा करता हूँ कि:–

1. मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बनावटी मतदान द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के लिए उपयोग की जाने वाली अगली मतदान मशीन खाली है और सुचारू रूप से कार्य कर रही है।
2. मैंने मतदान मशीन कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली पेपर सील पर स्वयं के हस्ताक्षर कर दिये हैं और उन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये हैं जो वहाँ उपस्थित थे और हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे।

हस्ताक्षर (राजू लाल)
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. यदि लागू हो तो वह लिखें। _ (_यदि लागू हो तो वह लिखें। _ अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. यदि लागू हो तो वह लिखें। _ (_यदि लागू हो तो वह लिखें। _ अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. यदि लागू हो तो वह लिखें। _ (_यदि लागू हो तो वह लिखें। _ अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. यदि लागू हो तो वह लिखें। _ (_यदि लागू हो तो वह लिखें। _ अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. यदि लागू हो तो वह लिखें। _ (_यदि लागू हो तो वह लिखें। _ अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
6. यदि लागू हो तो वह लिखें। _ (_यदि लागू हो तो वह लिखें। _ अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. यदि लागू हो तो वह लिखें। _ (_यदि लागू हो तो वह लिखें। _ अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है।

1. यदि लागू हो तो वह लिखें। _ (_यदि लागू हो तो वह लिखें। _ अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. यदि लागू हो तो वह लिखें। _ (_यदि लागू हो तो वह लिखें। _ अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. यदि लागू हो तो वह लिखें। _ (_यदि लागू हो तो वह लिखें। _ अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख जो लागू हो वह लिखें। हस्ताक्षर (राजू लाल)
पीठासीन अधिकारी

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

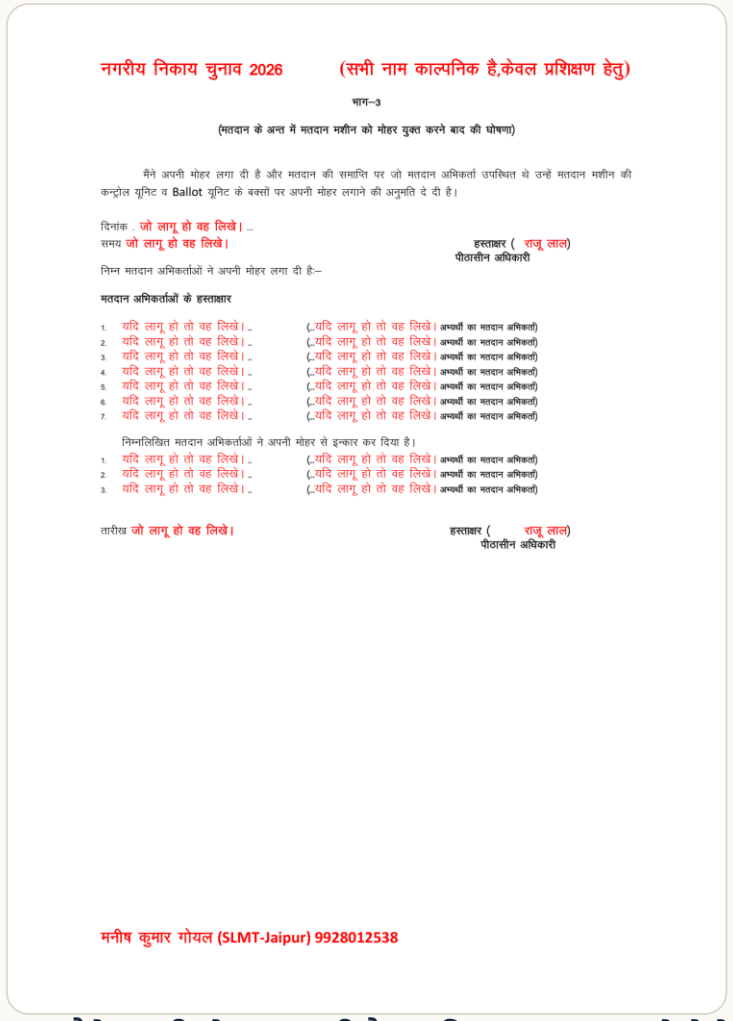
भाग-2 — नमूने में खाने खाली छपे हैं ("यदि लागू हो तो वह लिखें")

- **कब भरा जाएगा** — केवल तब जब मतदान के बीच मशीन बदलनी पड़े — तब नई मशीन पर फिर बनावटी मतदान कराकर यह घोषणा करनी है।
- **दो बातें** — (1) अगली मशीन खाली है और सुचारू है; (2) उसकी पेपर सील पर आपके एवं इच्छुक अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर।
- **नमूना खाली क्यों** — इस काल्पनिक केन्द्र पर मशीन नहीं बदली — इसीलिए खाने खाली हैं; यही डायरी मद 29 के उत्तर से मेल खाता है।
- **भूल न करें** — मशीन बदली और यह घोषणा न की — तो डायरी मद 29 और मद 25 दोनों पर प्रश्न खड़ा होगा।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-6 (मु.पृ. 108–109); डायरी मद 29

परिशिष्ट-6 भाग-3 — मतदान के अन्त में, मशीन मोहरबंद करने के बाद

पूरक



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

भाग–3

(मतदान के अन्त में मतदान मशीन को मोहर युक्त करने बाद की घोषणा)

मैंने अपनी मोहर लगा दी है और मतदान की समाप्ति पर जो मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे उन्हें मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट व Ballot यूनिट के बक्सों पर अपनी मोहर लगाने की अनुमति दे दी है।

दिनांक . जो लागू हो वह लिखे। ..
समय जो लागू हो वह लिखे।

हस्ताक्षर (राजू लाल)
पीठासीन अधिकारी

निम्न मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मोहर लगा दी है:–

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. यदि लागू हो तो वह लिखे। .. (..यदि लागू हो तो वह लिखे। अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. यदि लागू हो तो वह लिखे। .. (..यदि लागू हो तो वह लिखे। अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. यदि लागू हो तो वह लिखे। .. (..यदि लागू हो तो वह लिखे। अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. यदि लागू हो तो वह लिखे। .. (..यदि लागू हो तो वह लिखे। अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. यदि लागू हो तो वह लिखे। .. (..यदि लागू हो तो वह लिखे। अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
6. यदि लागू हो तो वह लिखे। .. (..यदि लागू हो तो वह लिखे। अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. यदि लागू हो तो वह लिखे। .. (..यदि लागू हो तो वह लिखे। अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मोहर से इन्कार कर दिया है।

1. यदि लागू हो तो वह लिखे। .. (..यदि लागू हो तो वह लिखे। अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. यदि लागू हो तो वह लिखे। .. (..यदि लागू हो तो वह लिखे। अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. यदि लागू हो तो वह लिखे। .. (..यदि लागू हो तो वह लिखे। अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख जो लागू हो वह लिखे।

हस्ताक्षर (राजू लाल)
पीठासीन अधिकारी

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

भाग-3 — "मैंने अपनी मोहर लगा दी है..."; दिनांक एवं समय दोनों के खाने

- **दिनांक के साथ समय भी** — भाग-3 में समय का अलग खाना है — यही सबसे अधिक खाली छूटता है; इसे भरे बिना घोषणा अधूरी है।
- **क्या घोषित होता है** — आपने अपनी मोहर लगा दी, और उपस्थित अभिकर्ताओं को CU व Ballot यूनिट के बक्सों पर अपनी मोहर लगाने की अनुमति दे दी।
- **नाम लिखें** — जिन अभिकर्ताओं ने मोहर लगाई उनके नाम घोषणा में नोट करें; इन्कार करने वालों के नाम इन्कार-खाने में।
- **किसे अधिकार** — नियम 47-क(3) तीन वर्ग बताता है — मतदान अभिकर्ता, निर्वाचन अभिकर्ता, अभ्यर्थी।
- **सावधानी** — मोमबत्ती की लौ एवं पिघला मोम मशीन से दूर रखें — यह चेतावनी आदेश 560 में है।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-6 (मु.पृ. 109); नियम 47-क(2) एवं (3); आदेश 560 दि. 16.01.2026

परिशिष्ट-19 — मॉकपोल प्रमाणपत्र · इस पुस्तिका में इसका पृष्ठ ही नहीं

नया

1. **1 · मॉकपोल कराएँ**
   प्रत्येक अभ्यर्थी को *तथा नोटा को* कम से कम एक-एक मत। "सभी को समान मत" कोई शर्त नहीं है (सुधार-पत्रक मद 1-थ)।

2. **2 · क्रम याद रखें**
   मॉकपोल → TOTAL → CLOSE → RESULT → मिलान → CLEAR → Total दबाकर 0 दिखाएँ → अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर → तब सीलिंग।

3. **3 · परिशिष्ट-19 भरें**
   5 स्तम्भ — क्र.सं. · भाग लेने वाले सदस्य का नाम · मॉकपोल वोटर पर्ची क्रमांक · जिस अभ्यर्थी को मत दिया उसकी क्रम संख्या · हस्ताक्षर। नीचे PRO के हस्ताक्षर।

4. **4 · कहाँ लगेगा**
   परिशिष्ट-6 की घोषणाओं के साथ संलग्न → लिफाफा E-10 (बिना सील) → काउंटर-1।

5. **5 · डायरी में**
   विवरण डायरी की मद 30 ("अन्य महत्वपूर्ण घटना") में — मद 25 में कदापि नहीं।

सबसे बड़ी चूक एवं तीन प्रचलित गलत उत्तर

CLEAR दबाना भूल जाना — यदि CLEAR न दबा हो और मतदान शुरू हो जाए तो तुरंत RO को सूचित करें, स्वयं कोई निर्णय न लें।

गलत उत्तर 1: "परिशिष्ट-19 परिशिष्ट-7 के साथ लगेगा" ❌ — सही: परिशिष्ट-6 के साथ। गलत उत्तर 2: "डायरी परिशिष्ट-8 है" ❌ — डायरी परिशिष्ट-7 है। गलत उत्तर 3: "मॉकपोल का विवरण मद 25 में" ❌ — मद 25 तो "मशीन द्वारा मतदान निष्फल" है; वहाँ लिखने से केन्द्र पर मतदान-निष्फलता का झूठा अभिलेख बन जाएगा (सुधार-पत्रक मद 1-ङ)।

और यह प्रपत्र इस पुस्तिका में है ही नहीं — न अनुक्रमणिका में, न पृष्ठ के रूप में — जबकि रसीद सं.(2) की मद 26 उसकी 02 प्रतियाँ गिनती है। कक्षा को मार्गदर्शिका पृ. 131 का प्रारूप अलग से दिखाएँ।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-19 (मु.पृ. 131); अ.4/4-A; सुधार-पत्रक मद 1-ङ, 1-ह, 1-ज्ञ

08

पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-7)

30 मदें · दिनभर भरी जाती है · RO इसे पढ़ेगा

डायरी मद 1 से 10 — केन्द्र, मशीन, सीलें, टैग, अभिकर्ता

पूरक

नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

परिशिष्ट – 7
[देखें भाग–3]

लिफाफा संख्या E-11 में रखकर सील नहीं करना है।

पीठासीन अधिकारी (प्रिंसाइडिंग ऑफिसर) की डायरी

1.	नगर पालिका का नाम	.....पावटा.....
2.	वार्ड संख्यांक	..... 21.....
3.	मतदान की तारीख	..... जो लागू हो वह लिखें। .....
4.	मतदान केन्द्र का नम्बर एवं नाम	122 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,पावटा..
5.	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन	..
	1. प्रयुक्त कन्ट्रोल यूनिट की संख्या	01 अथवा जो लागू हो वह लिखें.....
	2. प्रयुक्त कन्ट्रोल यूनिटों की पहचान क्रम संख्या नियंत्रण यूनिट CU33456X अथवा जो लागू हो वह लिखें।	
	3 प्रयुक्त Ballot यूनिटों की संख्या 01 अथवा हो लागू हो वह लिखें	
	4. प्रयुक्त Ballot यूनिटों की पहचान क्रम संख्या मतदान यूनिट BU2345Y अथवा जो लागू हो वह लिखें। ..	
6.	1. प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या	02
	2. प्रयुक्त पेपर सीलों का क्रमांक	. जो लागू हो वह लिखें.....
	3. प्रयुक्त स्ट्रीप सील का क्रमांक	..... जो लागू हो वह लिखें.....
		....
7.	1. आपूर्ति किये गये स्पेशल टेगों की सख्या	04 अथवा जो लागू हो वह लिखें.....
	2. आपूर्ति किये गये स्पेशल टेगों की कम संख्या	.123 से 126 अथवा जो लागू हो वह लिखें .....
	3. प्रयुक्त स्पेशल टेगों की संख्या	....01 अथवा जो लागू हो वह लिखें .
	4. प्रयुक्त स्पेशल टेगों की कम संख्या	123 अथवा जो लागू हो वह लिखें .
	5. अप्रयुक्त वापस किये गये स्पेशल टेगों की कम संख्या	124 से 126 अथवा जो लागू हो वह लिखें ...
8.	मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलम्ब से आये हो, उनकी संख्या	.06 अथवा जो लागू हो वह लिखें तथा 01 अथवा जो लागू हो वह लिखें
9.	मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	07 अथवा जो लागू हो वह लिखें
10.	1. मतदान के प्रारम्भ पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या	.06 अथवा जो लागू हो वह लिखें .
	2. विलम्ब से पंहुचने वाले मतदान अभिकर्ताओं की संख्या	01 अथवा जो लागू हो वह लिखें .
	3. मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या	.06 अथवा जो लागू हो वह लिखें .

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

मद 1–10 का भरा नमूना; बॉक्स में "लिफाफा E-11 में रखकर सील नहीं करना है" (अंक काल्पनिक)

- **सबसे बड़ी आदत** — "जब कभी भी कोई घटना घटित हो उसमें प्रविष्टियाँ पूर्ण कर लें, न कि मतदान की समाप्ति पर" [मार्गदर्शिका अ.14(4)10]।
- **मद 5** — प्रयुक्त CU एवं BU की संख्या *तथा* पहचान क्रमांक — चारों उप-मदें; यही 14-ग के शीर्ष से मिलेंगी।
- **मद 6** — प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या व क्रमांक, तथा स्ट्रिप सील का क्रमांक — मद 6(1) = 14-ग की मद 9(3)।
- **मद 7** — स्पेशल टैग — आपूर्ति/क्रम सं./प्रयुक्त/प्रयुक्त का क्रमांक/अप्रयुक्त वापस का क्रमांक — पाँचों उप-मदें।
- **मद 8–10** — अभिकर्ता — कुल, विलम्ब से आए, नियुक्त करने वाले अभ्यर्थी, प्रारम्भ एवं समाप्ति पर उपस्थित।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-7 (मु.पृ. 110); अ.14(4)10

डायरी मद 11 से 21 — यही नमूना अपने ही मिलान में फेल है

सुधार

नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

11.	1. मतदान केन्द्र पर कुल मतदाताओं की संख्या	987
	2. मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अनुसार अनुज्ञात (Allow) किये गये मतदाताओं की संख्या	985.
	3. मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 14क) के अनुसार मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत दिया 960	
	4. मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की संख्या	957
		सदस्य पद के लिए .....
12.	निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने, मतदान किया :–	पुरुष 400 महिला 356 थर्ड जेंडर 01 योग 957
13.	अभ्याक्षेपित (चैलेन्जड) मत	अनुमत संख्या 05 अस्वीकृत संख्या 02
		जब्त की गई धनराशि 06....
14.	निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या	सदस्य पद के लिए NIL अथवा जो लागू हो वह लिखें
15.	सहयोगियों की सहायता से मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या	05 अथवा जो लागू हो वह लिखें
16.	निविदत्त (टेण्डर्ड) मतों की कुल संख्या 05	सदस्य पद के लिए .....
17.	निर्वाचकों की संख्या :–	
	(क) जिनसे उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की	05 अथवा जो लागू हो वह लिखें
	(ख) जिन्होंने ऐसी घोषणा से इन्कार किया	05 अथवा जो लागू हो वह लिखें
18.	निर्वाचकों की संख्या :–	
	(क) जिनकी फोटो मतदाता पहचान पत्र से पहचान की गई	400 अथवा जो लागू हो वह लिखें
	(ख) जिनकी वैकल्पिक दस्तावेजों से पहचान की गई	357 अथवा जो लागू हो वह लिखें
19.	मतदान करने वाले दृष्टिहीन मतदाताओं की संख्या	02 अथवा जो लागू हो वह लिखें
20.	क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था ? यदि हाँ तो ऐसे स्थगन के कारण	नहीं यदि लागू हो तो लिखें l..
21.	डाले गये मतों की संख्या:–	957..

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

मद 11–21 का भरा नमूना — मद 12 का योग एवं मद 18 यहीं गड़बड़ हैं (अंक काल्पनिक)

मद	नमूने के घटक	नमूने का योग	स्थिति
12	पुरुष 400 + महिला 356 + थर्ड जेंडर 01	957 छपा	🔴 वास्तविक जोड़ 757
18	(क) EPIC 400 + (ख) वैकल्पिक 357	757	🔴 मद 21 तो 957 है
11(4) एवं 21	मशीन के अनुसार / डाले गए मत	957	✅ यही आधार-अंक है

इस नमूने में दोष

मद 12 में घटकों का जोड़ 757 बनता है पर योग 957 छपा है, और ठीक वही 200 का अंतर मद 18 में भी है — हर मतदाता दो में से एक ही रास्ते से पहचाना जाता है, अतः 18(क)+18(ख) ठीक 957 होना चाहिए, अन्यथा नमूना 200 मतदाताओं को बिना पहचान के मत डालते दिखा रहा है — सही आधार-अंक 957 है (मशीन का अंक, मद 11(4) एवं मद 21), अतः मद 12 व मद 18 के घटक ही 200 कम छपे हैं (सुधार-पत्रक मद 1-ट)।

प्रशिक्षण में इसे हटाएँ नहीं — अभ्यास बना लें: कक्षा से कहें "मद 12 का जोड़ स्वयं करके देखिए"। यही आदत 09/11.09.2026 की शाम बचाएगी।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-7 (मु.पृ. 111); सुधार-पत्रक मद 1-ट

इसी पृष्ठ के दो और अंक जो किसी से नहीं मिलते

सुधार

मद	नमूने में	किससे मिलना चाहिए	स्थिति
17(क)/(ख)	05 एवं 05	परिशिष्ट-11 (पृ. 36) के दोनों भागों की नाम-गिनती = 4 एवं 4	🔴 मेल नहीं
13 जब्त धनराशि	06	₹2 × जब्त चुनौतियों की संख्या (अनुमत 05, अस्वीकृत 02)	🔴 ₹6 किसी संयोजन से नहीं बनता
11(2) ↔ 11(3)	985 ↔ 960	दोनों प्रायः एक ही मतदाताओं पर	⚠️ 25 का अंतर अस्पष्ट

इस नमूने में दोष

मद 17 में आयु-घोषणाएँ 05 प्राप्त एवं 05 इन्कार छपी हैं जबकि परिशिष्ट-11 (पृ. 36) में दोनों भागों में गिने जा सकने वाले नाम 4 एवं 4 हैं — परिशिष्ट-11 ही वह सूची है जिससे मद 17 भरी जाती है, अतः दोनों में एक ही अंक रहना चाहिए; सुधार: या तो सूची में एक-एक नाम और जोड़ें, या डायरी में 05 → 04 करें (सुधार-पत्रक मद 1-त)।

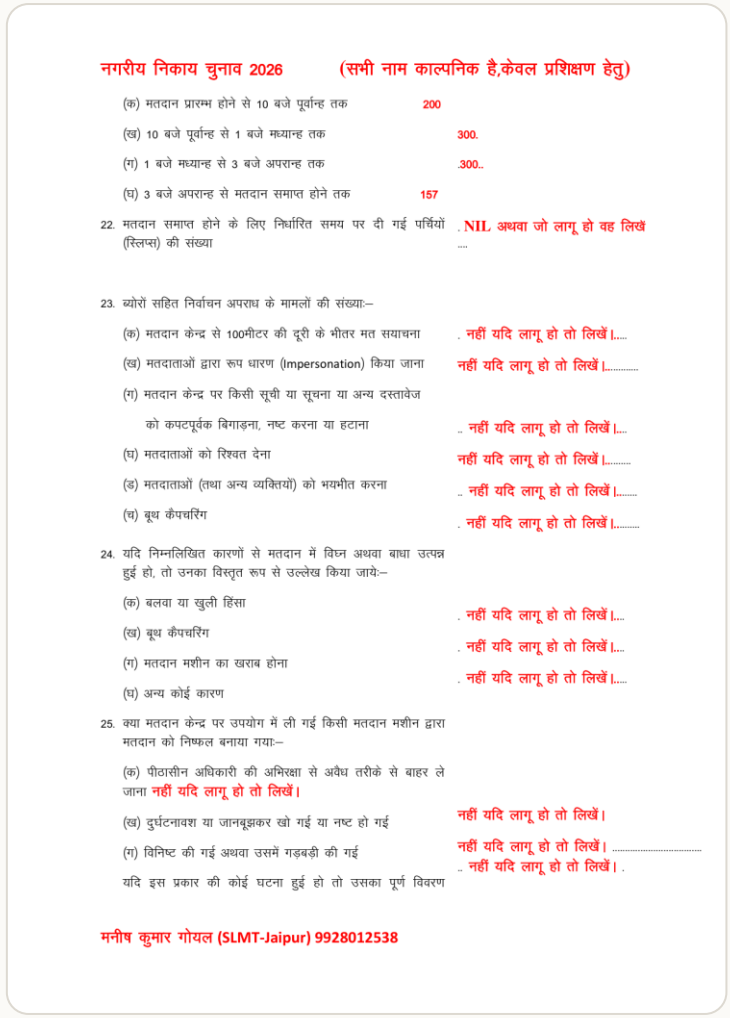
मद 13 में जब्त धनराशि 06 छपी है जबकि चुनौती फीस ₹2 प्रति चुनौती है — अनुमत 05 पर ₹10, अस्वीकृत 02 पर ₹4, कुल 07 पर ₹14; ₹6 किसी भी संयोजन से नहीं बनता — सही यह है कि राशि = ₹2 × केवल उन चुनौतियों की संख्या जो तुच्छ अथवा सद्भावना-रहित पाई गईं (नियम 43(5)); शेष सभी दशाओं में राशि वापस होती है, अतः इस खाने में प्रायः शून्य ही आएगा (सुधार-पत्रक मद 1-ब(घ))।

मद 11(2) 985 और 11(3) 960 का 25 का अंतर परियोजना समझा नहीं सकी — निविदत्त (05) एवं अनुमति-नहीं (03) जोड़ने पर भी 968 बनता है, 985 नहीं। इस अंतर पर कक्षा में कोई "सही उत्तर" न दें।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-7 एवं 11; नियम 43(5); सुधार-पत्रक मद 1-त एवं मद 1-ब(घ)

डायरी मद 21 से 25 — समयवार मत, अपराध, विघ्न, मशीन

पूरक



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

(क) मतदान प्रारम्भ होने से 10 बजे पूर्वान्ह तक 200

(ख) 10 बजे पूर्वान्ह से 1 बजे मध्यान्ह तक 300.

(ग) 1 बजे मध्यान्ह से 3 बजे अपरान्ह तक 300..

(घ) 3 बजे अपरान्ह से मतदान समाप्त होने तक 157

22. मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय पर दी गई पर्चियों (स्लिप्स) की संख्या . NIL अथवा जो लागू हो वह लिखें

23. ब्यौरों सहित निर्वाचन अपराध के मामलों की संख्या:–

(क) मतदान केन्द्र से 100मीटर की दूरी के भीतर मत सयाचना . नहीं यदि लागू हो तो लिखें।....

(ख) मतदाताओं द्वारा रूप धारण (Impersonation) किया जाना नहीं यदि लागू हो तो लिखें।.....

(ग) मतदान केन्द्र पर किसी सूची या सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना .. नहीं यदि लागू हो तो लिखें।....

(घ) मतदाताओं को रिश्वत देना नहीं यदि लागू हो तो लिखें।.....

(ङ) मतदाताओं (तथा अन्य व्यक्तियों) को भयभीत करना .. नहीं यदि लागू हो तो लिखें।.....

(च) बूथ कैपचरिंग . नहीं यदि लागू हो तो लिखें।.....

24. यदि निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न अथवा बाधा उत्पन्न हुई हो, तो उनका विस्तृत रूप से उल्लेख किया जाये:–

(क) बलवा या खुली हिंसा . नहीं यदि लागू हो तो लिखें।...

(ख) बूथ कैपचरिंग . नहीं यदि लागू हो तो लिखें।...

(ग) मतदान मशीन का खराब होना . नहीं यदि लागू हो तो लिखें।.....

(घ) अन्य कोई कारण

25. क्या मतदान केन्द्र पर उपयोग में ली गई किसी मतदान मशीन द्वारा मतदान को निष्फल बनाया गया:–

(क) पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से अवैध तरीके से बाहर ले जाना नहीं यदि लागू हो तो लिखें। नहीं यदि लागू हो तो लिखें।

(ख) दुर्घटनावश या जानबूझकर खो गई या नष्ट हो गई नहीं यदि लागू हो तो लिखें। .....

(ग) विनिष्ट की गई अथवा उसमें गड़बड़ी की गई .. नहीं यदि लागू हो तो लिखें। .

यदि इस प्रकार की कोई घटना हुई हो तो उसका पूर्ण विवरण

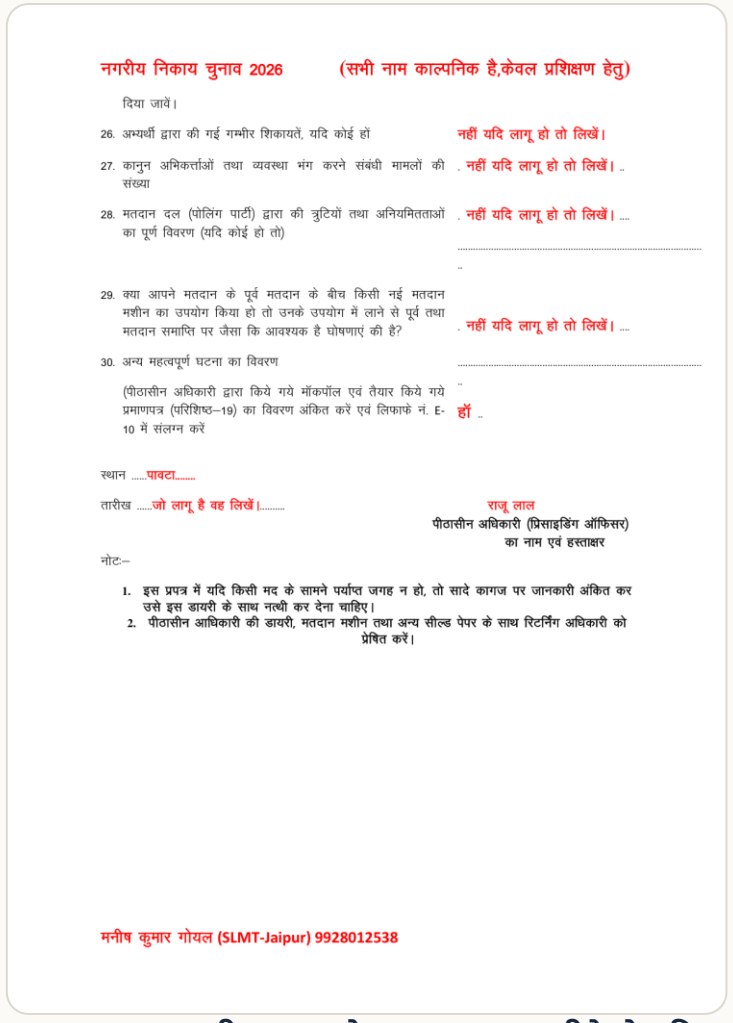
मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

मद 21 के चार समय-खण्ड; मद 23 के छह उप-खाने; मद 24–25 के विघ्न-खाने

- **मद 21 के चार खण्ड** — (क) प्रारम्भ से 10 पूर्वाह्न (ख) 10 से 1 मध्याह्न (ग) 1 से 3 अपराह्न (घ) 3 से समाप्ति — विहित प्रपत्र में यही चार हैं।
- **दिनभर की आदत** — 10:00, 13:00, 15:00 तथा समाप्ति पर 'Total' दबाकर अंक नोट करें [मार्गदर्शिका अ.9(7)] — शाम को स्मृति से भरना असंभव है।
- **नमूने की स्थिति** — नमूने में (क) 200, (ख) 300, (ग) 300, (घ) 157 = 957 — यह चारों का योग मद 11(4) से मिलता है ✅ ।
- **मद 23 एवं 24** — प्रत्येक उप-खाने में उत्तर लिखें — "नहीं" भी उत्तर है; खाली खाना अधूरी डायरी है।
- **मद 25** — "मशीन द्वारा मतदान निष्फल" — यहाँ मॉकपोल का विवरण कभी न लिखें; वह मद 30 में जाएगा।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-7 (मु.पृ. 111–112); अ.9(7); notes_forms §UNCERTAIN-1

डायरी मद 26 से 30 एवं प्रपत्र पर छपे दो अनिवार्य नोट



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

दिया जावें।

26. अभ्यर्थी द्वारा की गई गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हों — नहीं यदि लागू हो तो लिखें।

27. कानुन अभिकर्त्ताओं तथा व्यवस्था भंग करने संबंधी मामलों की संख्या — नहीं यदि लागू हो तो लिखें।

28. मतदान दल (पोलिंग पार्टी) द्वारा की त्रुटियों तथा अनियमितताओं का पूर्ण विवरण (यदि कोई हो तो) — नहीं यदि लागू हो तो लिखें।

29. क्या आपने मतदान के पूर्व मतदान के बीच किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया हो तो उनके उपयोग में लाने से पूर्व तथा मतदान समाप्ति पर जैसा कि आवश्यक है घोषणाएं की है? — नहीं यदि लागू हो तो लिखें।

30. अन्य महत्वपूर्ण घटना का विवरण

(पीठासीन अधिकारी द्वारा किये गये मॉकपोल एवं तैयार किये गये प्रमाणपत्र (परिशिष्ट–19) का विवरण अंकित करें एवं लिफाफे नं. E-10 में संलग्न करें — हाँ

स्थान .....पावटा.....

तारीख .....जो लागू है वह लिखें।.....

राजू लाल
पीठासीन अधिकारी (प्रिसाइडिंग ऑफिसर)
का नाम एवं हस्ताक्षर

नोट:–

1. इस प्रपत्र में यदि किसी मद के सामने पर्याप्त जगह न हो, तो सादे कागज पर जानकारी अंकित कर उसे इस डायरी के साथ नत्थी कर देना चाहिए।
2. पीठासीन आधिकारी की डायरी, मतदान मशीन तथा अन्य सील्ड पेपर के साथ रिटर्निंग अधिकारी को प्रेषित करें।

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

मद 26–30, स्थान/तारीख/PRO के हस्ताक्षर, तथा नीचे दो मुद्रित नोट

- **मद 28** — "मतदान दल द्वारा की गई त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ" — यही वह खाना है जिसे लोग डरकर खाली छोड़ते हैं; सच लिखना ही सुरक्षा है।
- **मद 29** — क्या आवश्यक घोषणाएँ कीं? — परिशिष्ट-6 के तीनों भागों से सीधे जुड़ी है।
- **मद 30** — अन्य महत्वपूर्ण घटना — प्रपत्र स्वयं कहता है: मॉकपोल एवं परिशिष्ट-19 का विवरण यहीं अंकित करें और लिफाफा E-10 में संलग्न करें।
- **नोट 1** — किसी मद के सामने जगह कम पड़े तो सादे कागज़ पर लिखकर डायरी के साथ नत्थी करें।
- **नोट 2** — डायरी मशीन तथा अन्य सील्ड पेपर के साथ RO को प्रेषित करें (नियम 50-क) — किन्तु स्ट्रांग रूम के भीतर बंद नहीं (आदेश 858)।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-7 (मु.पृ. 112); नियम 50-क; आदेश 858 दि. 04.10.1999

डायरी ↔ प्ररूप 14-ग — छह मिलान जो बूथ छोड़ने से पहले करने हैं

नया

डायरी की मद	क्या है	बराबर होनी चाहिए	यदि न मिले
मद 11(2)	चिन्हित प्रति के अनुसार अनुज्ञात	14-ग की मद 2	14-क का अन्तिम क्रमांक फिर गिनें
मद 12 का योग	पुरुष + महिला + थर्ड जेंडर	14-ग की मद 5 (मशीन का अंक)	चिन्हित प्रति के ✓/* फिर गिनें
मद 16	निविदत्त मतों की कुल संख्या	14-ग की मद 7	14-ख की प्रविष्टियाँ गिनें
मद 6(1)	प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या	14-ग की मद 9(3)	प्रयुक्त सीलों के क्रमांक मिलाएँ
मद 21 का योग	चारों समय-खण्डों का जोड़	14-ग की मद 5	Total के समय-समय के अंक फिर देखें
मद 17(क)/(ख)	आयु-घोषणाएँ प्राप्त/इन्कार	परिशिष्ट-11 के भाग-I / भाग-II की नाम-गिनती	सूची के नाम गिनकर डायरी सुधारें

नियम एक ही है

इनमें से एक भी न मिले तो कोई प्रविष्टि गलत है — बूथ छोड़ने से पहले ठीक करें। गलत जोड़ वाली डायरी RO के यहाँ पकड़ी जाएगी, और तब तक सीलबंद पैकेट खोले नहीं जा सकते (नियम 74-क(1))।

मिलान अभिकर्ताओं के समक्ष करें — 14-ग की प्रमाणित प्रति माँगने वाले हर अभिकर्ता को दें [मार्गदर्शिका अ.11(3)6]।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-7 एवं 8; नियम 49-ग; परिशिष्ट-15 चेक मेमो मद 18–19

09

परिस्थिति-प्रपत्र, समापन एवं शेष प्रश्न

परिशिष्ट-9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 15A · सीलिंग-शृंखला · आम जाल

परिशिष्ट-9 — थानाधिकारी को शिकायती पत्र

सुधार

नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

परिशिष्ट 9
(भाग 6 पैरा 2)

थाना अधिकारी को शिकायती पत्र
यदि आवश्यक हो तो ही देना है।

सेवामें,

थाना अधिकारी,

विषयः— नगरपालिका .....पावटा..... के वार्ड संख्या .....21.....से निर्वाचन मतदान केन्द्र (सं. और नाम) 122,राउमावि,पावटा में प्रतिरूपण – मतदान की तारीख ... जो लागू हो वह लिखें।

महोदय,

मुझे यह सूचित करना है कि श्री .अनूप सिंह .के पुत्र और पावटा निवासी ने उस व्यक्ति की अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप किया है जिसे श्री.मुकेश कुमार के सुपर्द किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने श्री होश्यिार सिंह होने का दावा किया है जिसका नाम नगरपालिका पावटा के वार्ड संख्या .....21..... की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या .122. के क्रम संख्या 46 पर दर्शित है। यह व्यक्ति यह साबित नहीं कर सका है कि वह उक्त निर्वाचक है। मेरे विचार में वह छदमवेशी हैं। अतः आप से निवेदन है कि आप भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171–च के अधीन अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करे।

भवदीय,
राजू लाल...
हस्ताक्षर .....राजू लाल...
पीठासीन ऑफिसर

स्थान पावटा.....
तारीख .. जो लागू हो वह लिखें।

प्रति नगरपालिका पावटा.... के रिटर्निंग ऑफिसर और आयोग को प्रेषित।

हस्ताक्षर राजू लाल..
राजू लाल...
पीठासीन ऑफिसर

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

प्रतिरूपण की शिकायत; नीचे "प्रति RO एवं आयोग को प्रेषित" का अलग खण्ड (नाम काल्पनिक)

- **कब** — केवल गम्भीर स्थिति में — प्रतिरूपण सिद्ध, चुनौती सफल; प्रपत्र पर ही लिखा है "यदि आवश्यक हो तो ही देना है"।
- **क्या-क्या भरें** — विषय में निकाय, वार्ड, केन्द्र सं.-नाम, मतदान की तारीख; अभ्याक्षेपकर्ता का नाम/पिता/निवास; छद्मवेशी किस नाम से दावा कर रहा है — नामावली के भाग व क्रम संख्या सहित; किस पुलिस अधिकारी को सुपुर्द किया।
- **दूसरा खण्ड न भूलें** — नीचे "प्रति RO एवं आयोग को प्रेषित" — उस पर आपके अलग हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
- **साथ में** — डायरी मद 23/24 एवं 30 में प्रविष्टि; प्ररूप-13 के स्तम्भ 8 में आदेश।

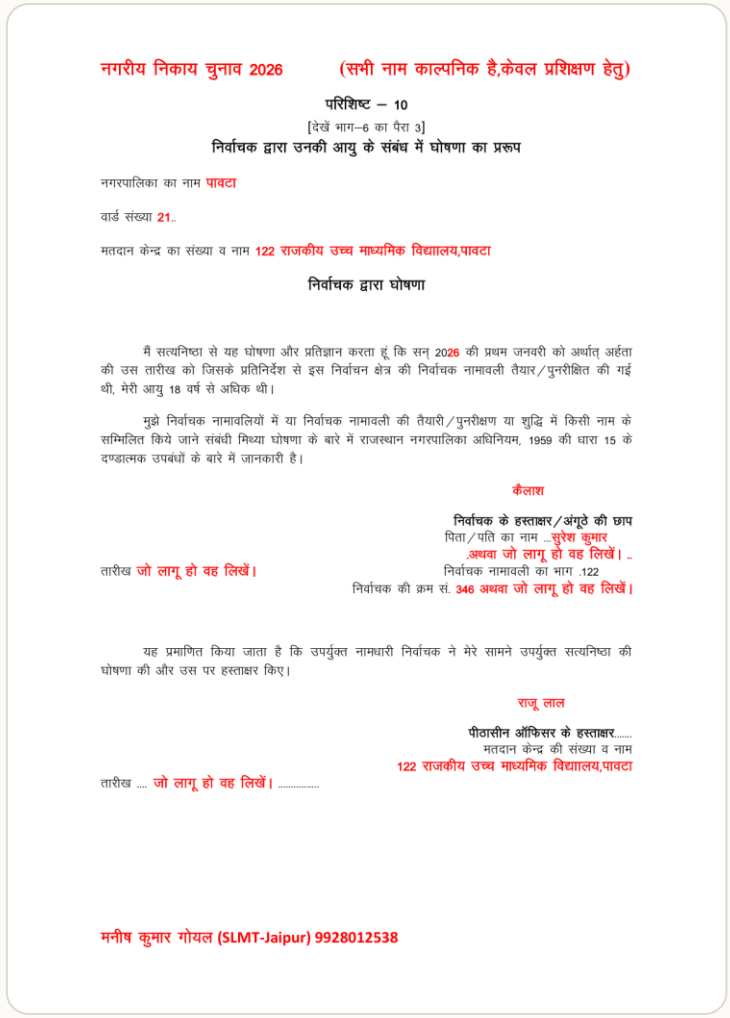
इस नमूने में दोष

पत्र में "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171-च" छपी है — भा.दं.सं. 1860 निरसित हो चुकी है — लिखें/पढ़ें: भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 172/174, जिसे आयोग का अपना आदेश 5310 दि. 30.07.2026 भी उद्धृत करता है — किन्तु यह विहित प्रपत्र है, अतः मतदान केन्द्र पर उस पर काट-छाँट न करें; मौखिक रूप से बताएँ और आयोग को सुधार हेतु लिखें (सुधार-पत्रक मद 6)।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-9 (मु.पृ. 115); आदेश 5310 दि. 30.07.2026; सुधार-पत्रक मद 6

परिशिष्ट-10 — निर्वाचक द्वारा आयु की घोषणा

सुधार



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

परिशिष्ट – 10

[देखें भाग–6 का पैरा 3]

निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्ररूप

नगरपालिका का नाम पावटा

वार्ड संख्या 21..

मतदान केन्द्र का संख्या व नाम 122 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,पावटा

निर्वाचक द्वारा घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि सन् 2026 की प्रथम जनवरी को अर्थात् अर्हता की उस तारीख को जिसके प्रतिनिर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई थी, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक थी।

मुझे निर्वाचक नामावलियों में या निर्वाचक नामावली की तैयारी/पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने संबंधी मिथ्या घोषणा के बारे में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 15 के दण्डात्मक उपबंधों के बारे में जानकारी है।

कैलाश

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

पिता/पति का नाम ...सुरेश कुमार

.अथवा जो लागू हो वह लिखें। ..

निर्वाचक नामावली का भाग .122

निर्वाचक की क्रम सं. 346 अथवा जो लागू हो वह लिखें।

तारीख जो लागू हो वह लिखें।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा की घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किए।

राजू लाल

पीठासीन ऑफिसर के हस्ताक्षर.....

मतदान केन्द्र की संख्या व नाम

122 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,पावटा

तारीख .... जो लागू हो वह लिखें। .....

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

घोषणा + नीचे PRO का प्रमाणन-खण्ड (नाम काल्पनिक)

- **अर्हता-तिथि की आयु** — घोषणा आज की आयु की नहीं — "सन् 2026 की प्रथम जनवरी को, अर्थात् उस अर्हता तिथि को, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक थी"।
- **PRO का प्रमाणन** — नीचे का खण्ड आपका है — "मेरे सामने घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किए" — आपके हस्ताक्षर एवं केन्द्र सं./नाम।
- **भरने वाले खाने** — पिता/पति का नाम · नामावली का भाग · निर्वाचक की क्रम सं. · दिनांक — चारों भरें।
- **आगे** — प्रत्येक घोषणा की प्रविष्टि परिशिष्ट-11 के भाग-I में; दोनों → E-14 (बिना सील)।

इस नमूने में दोष

प्रपत्र पर "राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 15" छपी है, जबकि 1959 का अधिनियम धारा 344(1) से निरसित हो चुका है — प्रभावी अधिनियम 2009 (अधि. 18/2009) है — राहत यह है कि धारा-संख्या वही है: 2009 के अधिनियम की भी धारा 15 ही "मिथ्या घोषणा" है, अतः केवल सन् "1959" → "2009" पढ़ें; यह विहित प्रपत्र है, इस पर काट-छाँट न करें — मौखिक रूप से बताएँ और आयोग को सुधार हेतु लिखें (सुधार-पत्रक मद 1-ञ)।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-10 (मु.पृ. 116); राज. नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15; सुधार-पत्रक मद 1-ञ

परिशिष्ट-11 — आयु संबंधी घोषणा करने वालों की सूची

सुधार

नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

परिशिष्ट – 11

[देखें भाग–6 का पैरा 3]

आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची

..... पावटा ..... नगरपालिका के लिये निर्वाचन

वार्ड संख्या .....21.....

मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम .....122 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,पावटा

भाग–I

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे उनकी आयु के सम्बन्ध में घोषणाएं प्राप्त की गई हैं।

क्र. सं.	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु
1.	2.	3.	4.	5.
1.	सुरेश कुमार	122/27	35	35
2.	कमल किशोर	122/39	45	45
3.	रोशन लाल	122/137	23	23
4.	अंकित	122/547	18	18

भाग–II

उन मतदाताओं की सूची, जिन्होंने अपनी आयु के सम्बन्ध में घोषणाएं करने से इंकार कर दिया है।

क्र. सं.	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु
1.	2.	3.	4.	5.
1.	नयन	122/56	35	35
2.	रामसिंह	122/34	45	45
3.	किशन कुमार	122/123	23	23
4.	चिरंजी लाल	122/645	18	18

दिनांक ... जो लागू हो वह लिखें।

राजू लाल
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

भाग-I (घोषणा प्राप्त) एवं भाग-II (घोषणा से इन्कार) — दोनों में 4-4 नाम (नाम काल्पनिक)

- **दो भाग** — भाग-I — जिनसे घोषणाएँ प्राप्त कीं; भाग-II — जिन्होंने घोषणा से इन्कार किया। दोनों अलग-अलग भरें।
- **स्तम्भ 5 आपका निर्णय है** — "पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु" — यह आपका लिखित निर्णय है, नामावली की नकल नहीं।
- **दिनभर संचित** — PRO स्वयं दिनभर भरता जाए; शाम को इसी की गिनती डायरी मद 17 में जाएगी।
- **लिफाफा** — परिशिष्ट-10 की घोषणाओं के साथ → E-14 (बिना सील)।

इस नमूने में दोष

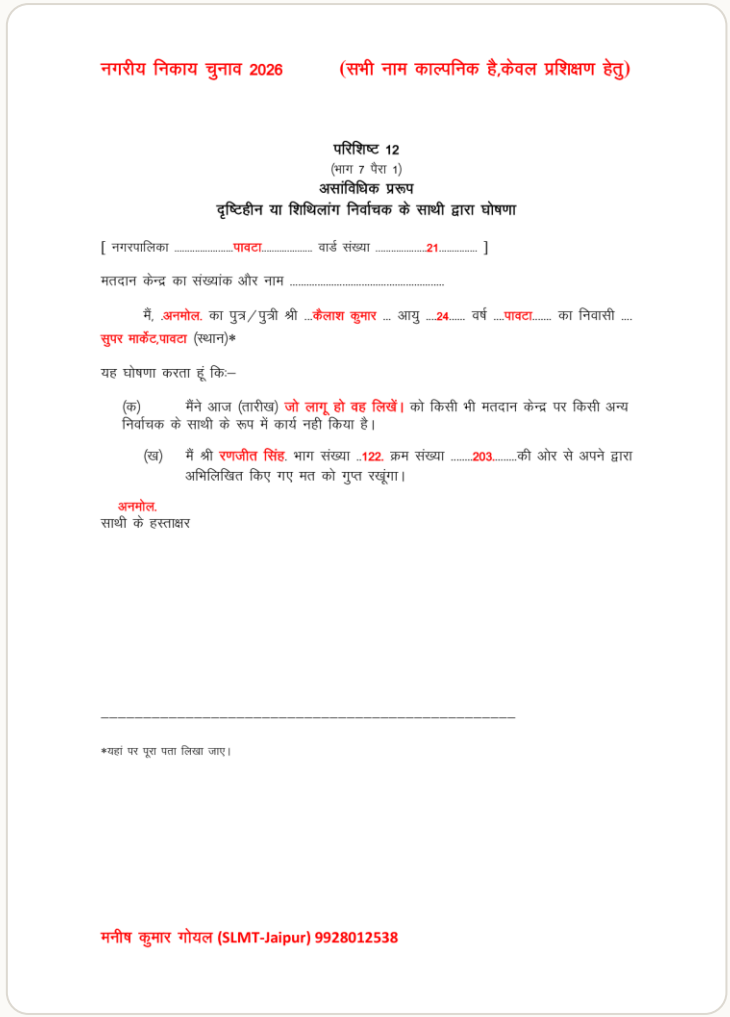
इस सूची के भाग-I में 4 नाम (सुरेश कुमार, कमल किशोर, रोशन लाल, अंकित) और भाग-II में 4 नाम (नयन, रामसिंह, किशन कुमार, चिरंजी लाल) हैं, जबकि इसी केन्द्र की डायरी (पृ. 31) की मद 17 में 05 एवं 05 छपा है — यही सूची डायरी की मद 17 का स्रोत है, अतः नामों की गिनती और डायरी का अंक एक ही होने चाहिए — सुधार: या तो दोनों भागों में एक-एक नाम और जोड़ें, या डायरी में 05 → 04 करें (सुधार-पत्रक मद 1-त)।

⚠️ परियोजना यह दावा *नहीं* करती कि यही अंक 14-ग की मद 4 से भी मिलना चाहिए — आयु-घोषणा से इन्कार नियम 35-क/37-क में आता है या नहीं, यह सत्यापित नहीं है; कक्षा में यह तीसरा मिलान न पढ़ाएँ।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-11 (मु.पृ. 117); सुधार-पत्रक मद 1-त

परिशिष्ट-12 — दृष्टिहीन/शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा

पूरक



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

परिशिष्ट 12
(भाग 7 पैरा 1)
असांविधिक प्ररूप
दृष्टिहीन या शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा

[नगरपालिका .....पावटा..... वार्ड संख्या .....21.....]

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम .....

मैं, .अनमोल. का पुत्र/पुत्री श्री ...कैलाश कुमार ... आयु ....24..... वर्ष ....पावटा..... का निवासी .... सुपर मार्केट,पावटा (स्थान)*

यह घोषणा करता हूं कि:–

(क) मैंने आज (तारीख) जो लागू हो वह लिखें। को किसी भी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नही किया है।

(ख) मैं श्री रणजीत सिंह. भाग संख्या ..122. क्रम संख्या .....203.....की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखूंगा।

अनमोल.
साथी के हस्ताक्षर

*यहां पर पूरा पता लिखा जाए।

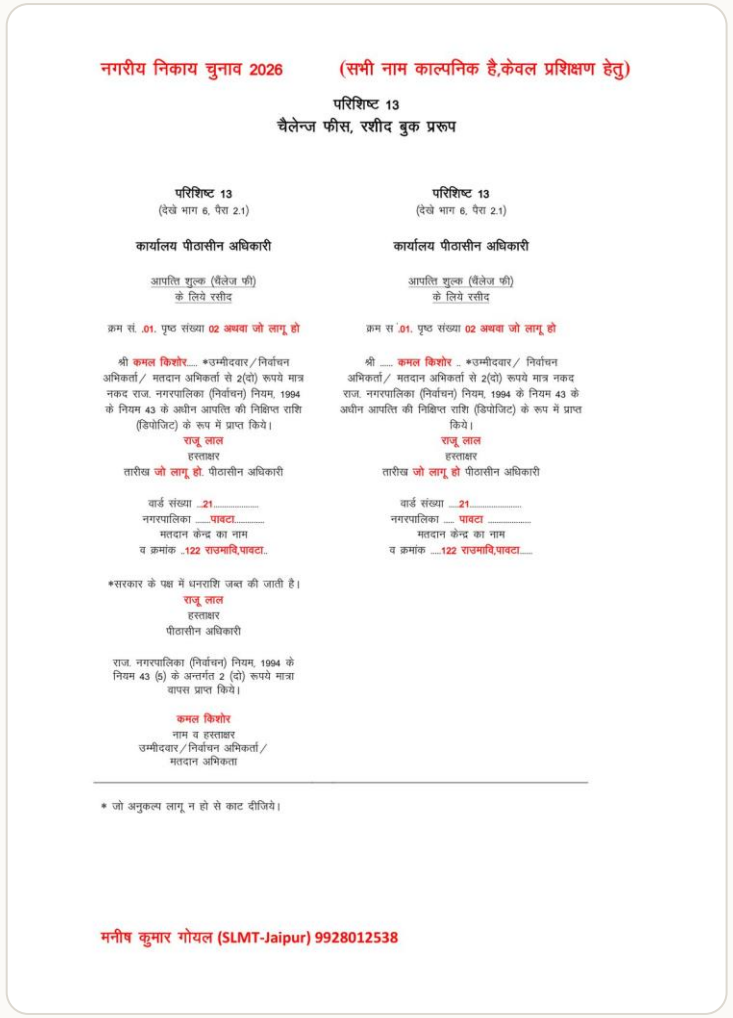
मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

साथी की आयु व पूरा पता; निर्वाचक का भाग व क्रम संख्या; केवल साथी के हस्ताक्षर

- **असांविधिक प्ररूप** — मार्गदर्शिका स्वयं इसे "असांविधिक प्ररूप" कहती है — फिर भी हर ऐसे प्रकरण में भरवाना है।
- **दो घोषणाएँ** — (क) आज किसी अन्य निर्वाचक का साथी नहीं बना; (ख) निर्वाचक के मत को गुप्त रखूँगा।
- **केवल साथी के हस्ताक्षर** — इस प्रपत्र पर PRO का प्रतिहस्ताक्षर नहीं होता — प्ररूप 9 से यही भेद है।
- **नमूने का खाली खाना** — इस नमूने में "मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम" खाली छूटा है — वास्तविक प्रपत्र में इसे कभी खाली न छोड़ें।
- **लिफाफा** — प्ररूप 12 की सूची के साथ → E-14 (बिना सील); डायरी मद 15 एवं 19।

परिशिष्ट-13 — चैलेन्ज फीस की रसीद बुक

पूरक



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

परिशिष्ट 13
चैलेन्ज फीस, रशीद बुक प्ररूप

परिशिष्ट 13
(देखे भाग 6, पैरा 2.1)

कार्यालय पीठासीन अधिकारी

आपत्ति शुल्क (चैलेंज फी)
के लिये रसीद

क्रम सं. .01. पृष्ठ संख्या 02 अथवा जो लागू हो

श्री कमल किशोर..... *उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/ मतदान अभिकर्ता से 2(दो) रूपये मात्र नकद राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 के अधीन आपत्ति की निक्षिप्त राशि (डिपोजिट) के रूप में प्राप्त किये।

राजू लाल
हस्ताक्षर
तारीख जो लागू हो. पीठासीन अधिकारी

वार्ड संख्या ...21.....
नगरपालिका .....पावटा.....
मतदान केन्द्र का नाम
व क्रमांक .122 राउमावि,पावटा..

*सरकार के पक्ष में धनराशि जब्त की जाती है।
राजू लाल
हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 (5) के अन्तर्गत 2 (दो) रूपये मात्रा वापस प्राप्त किये।

कमल किशोर
नाम व हस्ताक्षर
उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/
मतदान अभिकर्ता

* जो अनुकल्प लागू न हो से काट दीजिये।

परिशिष्ट 13
(देखे भाग 6, पैरा 2.1)

कार्यालय पीठासीन अधिकारी

आपत्ति शुल्क (चैलेंज फी)
के लिये रसीद

क्रम सं .01. पृष्ठ संख्या 02 अथवा जो लागू हो

श्री ..... कमल किशोर .. *उम्मीदवार/ निर्वाचन अभिकर्ता/ मतदान अभिकर्ता से 2(दो) रूपये मात्र नकद राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 के अधीन आपत्ति की निक्षिप्त राशि (डिपोजिट) के रूप में प्राप्त किये।

राजू लाल
हस्ताक्षर
तारीख जो लागू हो पीठासीन अधिकारी

वार्ड संख्या .....21.....
नगरपालिका ..... पावटा .....
मतदान केन्द्र का नाम
व क्रमांक .....122 राउमावि,पावटा.....

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

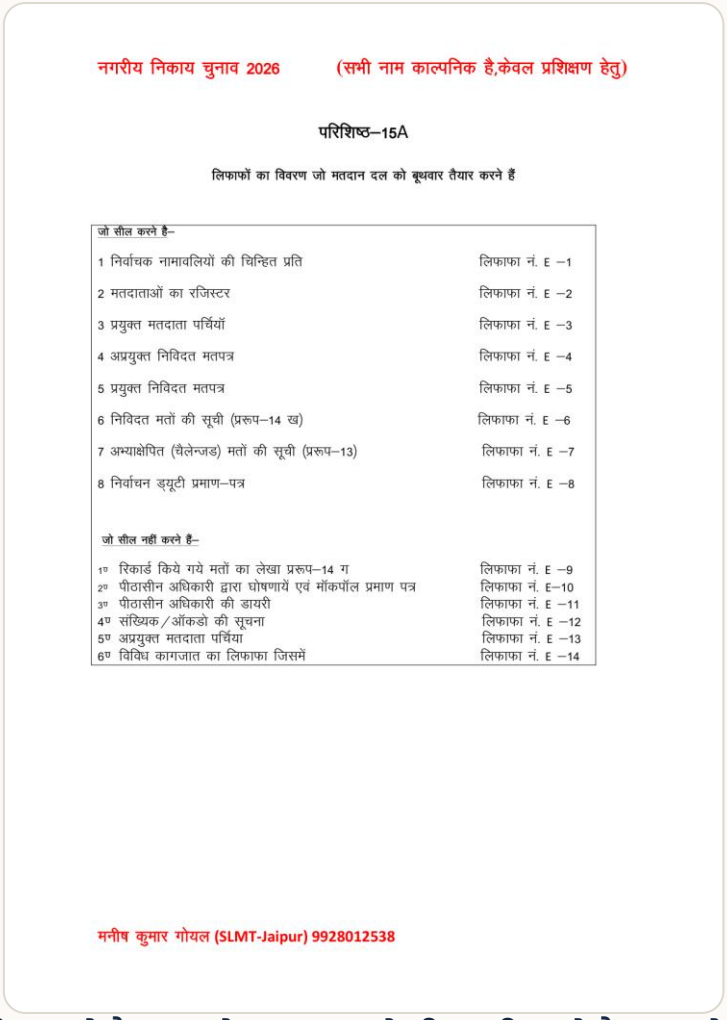
दो भाग — बाईं ओर प्रतिपर्ण, दाईं ओर रसीद; नीचे जब्ती एवं वापसी दोनों के खाने

- **दो भाग** — प्रतिपर्ण (आपके पास) एवं रसीद (चुनौतीकर्ता को) — दोनों पर वही क्रम सं., पृष्ठ सं., वार्ड, निकाय, केन्द्र नाम-क्रमांक।
- **राशि** — ₹2 (दो रुपये मात्र) नकद — नियम 43 के अधीन आपत्ति की निक्षिप्त राशि के रूप में; जमा हुए बिना चुनौती स्वीकार ही न करें।
- **नीचे का खाना 1 — केवल तब** — "सरकार के पक्ष में धनराशि जब्त की जाती है" — यह केवल तब जब चुनौती तुच्छ हो अथवा सद्भावपूर्वक न की गई हो; आपके हस्ताक्षर।
- **नीचे का खाना 2 — शेष सभी दशाओं में** — "नियम 43(5) के अन्तर्गत ₹2 वापस प्राप्त किये" — चुनौतीकर्ता के हस्ताक्षर; चुनौती सिद्ध हो जाने पर भी राशि यहीं से वापस होगी।
- **प्रपत्र का अपना निर्देश** — "जो अनुकल्प लागू न हो उसे काट दीजिये" — दोनों खाने खुले छोड़ना सबसे आम गलती है। रसीद बुक → E-14 (बिना सील); गिनती → डायरी मद 13।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-13 (मु.पृ. 119); नियम 43 एवं 43(5); आयोग का DLMT डेक PPT-2 स्लाइड 53 मद 12–13

परिशिष्ट-15A — बूथवार तैयार किए जाने वाले लिफाफों का विवरण

पूरक



नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

परिशिष्ठ–15A

लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने हैं

जो सील करने है–	
1 निर्वाचक नामावलियों की चिन्हित प्रति	लिफाफा नं. E –1
2 मतदाताओं का रजिस्टर	लिफाफा नं. E –2
3 प्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ	लिफाफा नं. E –3
4 अप्रयुक्त निविदत मतपत्र	लिफाफा नं. E –4
5 प्रयुक्त निविदत मतपत्र	लिफाफा नं. E –5
6 निविदत मतों की सूची (प्ररूप–14 ख)	लिफाफा नं. E –6
7 अभ्याक्षेपित (चैलेन्जड) मतों की सूची (प्ररूप–13)	लिफाफा नं. E –7
8 निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र	लिफाफा नं. E –8
जो सील नहीं करने हैं–	
1ण रिकार्ड किये गये मतों का लेखा प्ररूप–14 ग	लिफाफा नं. E –9
2ण पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणायें एवं मॉकपॉल प्रमाण पत्र	लिफाफा नं. E–10
3ण पीठासीन अधिकारी की डायरी	लिफाफा नं. E –11
4ण संख्यिक/आँकडो की सूचना	लिफाफा नं. E –12
5ण अप्रयुक्त मतदाता पर्चिया	लिफाफा नं. E –13
6ण विविध कागजात का लिफाफा जिसमें	लिफाफा नं. E –14

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

"जो सील करने हैं" (E-1 से E-8) एवं "जो सील नहीं करने हैं" (E-9 से E-14)

- **यही आधिकारिक विभाजन है** — आठ सीलबंद, छह बिना सील — इसे कक्षा में इसी पृष्ठ से पढ़वाएँ, स्मृति से नहीं।
- **E-9 का पूरा नाम** — यहाँ "रिकार्ड किये गये मतों का लेखा प्ररूप 14-ग" लिखा है — लिफाफे पर भी यही शब्द अंकित होंगे (नियम 49-क(2))।
- **E-14 की पंक्ति अधूरी** — इस पृष्ठ पर "विविध कागजात का लिफाफा जिसमें" लिखकर सूची छूट गई है — पूरी आठ उप-मदें पृ. 25 पर हैं; दोनों पृष्ठ साथ पढ़ाएँ।
- **E-12 पर सावधानी** — "सांख्यिक/आँकड़ों की सूचना" का विहित प्रारूप परियोजना को किसी स्रोत में नहीं मिला — जिला/RO द्वारा दिया गया प्रपत्र ही भरा जाएगा; प्रारूप का दावा न करें।

स्रोत: मार्गदर्शिका परिशिष्ट-15A (मु.पृ. 124); नियम 48-क; notes_forms §UNCERTAIN-2

नया

समाप्ति की नियम-शृंखला — 47-क → 48-क → 49-क → 50-क

1. **47-क · मशीन सील**
   Close दबाएँ (कैप हटाकर, फिर लगाएँ) → पावर Off → CU व BU पृथक → वहन बक्सों में → छिद्रों में धागा डालकर एड्रेस टैग पर PRO की मुद्रा + चपड़ी। CU के टैग पर निकाय, वार्ड, CU पहचान नं., केन्द्र नाम-सं., तारीख; BU के टैग पर वही + BU पहचान नं.।
2. **48-क · कागज़ों के पैकेट**
   E-1 से E-8 सीलबंद (E-1...E-6 का अलग पैकेट), अभ्यर्थी/अभिकर्ता की उपस्थिति में; हर पैकेट पर अन्तर्वस्तु का पूरा पृष्ठांकन।
3. **49-क · प्ररूप 14-ग**
   दो प्रतियाँ तैयार; एक E-9 में — लिफाफे पर "Account of Votes Recorded" शब्द अनिवार्य।
4. **50-क · RO को प्रेषण**
   मशीन, 14-ग, सीलबंद पैकेट तथा अन्य सब कागज़ात RO को — तीनों काउंटरों के माध्यम से।
5. **स्थगन पर भी वही**
   नियम 54-क(1) के अधीन मतदान स्थगित हो तो भी यही पूरी शृंखला पूरी करनी है — "बाद में करेंगे" का विकल्प नहीं है।

मशीन-विशिष्ट दो बातें (ECIL MPSV)

Close दबाते ही जो कुल संख्या दिखे वह तुरंत 14-ग की मद 5 में लिखें — स्मृति पर न छोड़ें।

Busy लैम्प जलता रहे तो: BU अलग करें → पावर पुनः चालू करें → Busy बुझेगा → Close सक्रिय हो जाएगा। इस मशीन पर END बटन मास्क्ड है और PRINT बटन है ही नहीं — कक्षा में इनका उल्लेख न करें।

बारह जाल — जिनमें प्रशिक्षणार्थी सबसे अधिक फँसते हैं

नया

#	जाल	परियोजना का निर्णय
1	14-ग मद 9(4) — "मद 3 से मद 2 घटाइए"	❌ उल्टा; ✅ मद 2 − मद 3
2	भाग-2 में नोटा का खाना खाली	✅ शून्य हो तो "0" लिखें
3	परिशिष्ट-19 किससे संलग्न, डायरी कौन-सी, मॉकपोल किस मद में	✅ परिशिष्ट-6 के साथ, E-10; डायरी = परिशिष्ट-7; मद 30
4	मॉकपोल में "सभी को समान मत"	✅ शर्त नहीं; नोटा सहित न्यूनतम 1-1 मत
5	₹2 जब्ती — "चुनौती सही निकले तो जब्त"	❌ उल्टा; ✅ नियम 43(5): तुच्छ/असद्भाव पर जब्त, शेष सभी दशाओं में वापस — आयोग का अपना डेक भी यही कहता है
6	"नियम 45-क", "171-च", "1959"	तीनों पुराने लेबल; पढ़ें विलोपित / BNS 172-174 / अधिनियम 2009 धारा 15 — प्रपत्र स्वयं न बदलें
7	डायरी स्ट्रांग रूम में	❌ कभी नहीं — RO/ARO की अभिरक्षा (आदेश 858)
8	पोस्टल-बैलेट धारक को रोका गया मतदाता किस मद में	किसी में ठीक नहीं बैठता — RO/DEO से पूछें
9	हर प्रपत्र पर अलग-अलग केन्द्र-संख्या	एक ही संख्या हर जगह — मार्गदर्शिका के नमूने में भी यह चूक है
10	E-9 पर केवल "E-9" लिखना	अपर्याप्त — "Account of Votes Recorded" अनिवार्य (नियम 49-क(2))
11	मतदाता पर्ची PO-1 जारी करे	❌ PO-2 — क्रम: पहचान → 14-क → स्याही → पर्ची → PO-3 जाँच → Ballot
12	शून्य वाला लिफाफा न बनाना	❌ हर लिफाफा बनेगा — "शून्य" लिखकर हस्ताक्षर करके बंद करें

स्रोत: notes_forms.md भाग-ट (परियोजना-निर्णय); DLMT_CORRECTION_SHEET_hi.md

बूथ छोड़ने से पहले — पाँच मिनट की अंतिम जाँच

नया

1. **1 · मशीन**
   Close दबाया? Total का अंक 14-ग की मद 5 में लिखा? CU-BU अलग, बक्सों में, एड्रेस टैग पर मुद्रा एवं चपड़ी? इच्छुक अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर टैग पर?
2. **2 · छह मिलान**
   डायरी ↔ 14-ग की छह पंक्तियाँ (मद 11(2), 12, 16, 6, 21, 17) — एक भी न मिले तो अभी सुधारें।
3. **3 · चौदह लिफाफे**
   गिनकर देखें — 14 के 14; शून्य वाले भी बने? पृष्ठांकन पूरा? E-9 पर "Account of Votes Recorded" लिखा?
4. **4 · घोषणाएँ**
   परिशिष्ट-6 के तीनों भाग भरे? भाग-3 में समय भी? परिशिष्ट-19 संलग्न करके E-10 में?
5. **5 · तीन काउंटर**
   काउंटर-1: मशीन + E-9, E-10, E-11, E-12 · काउंटर-2: E-1…E-8 + E-13, E-14 · काउंटर-3: शेष सामग्री — हर काउंटर से रसीद लेकर ही हटें।

> **परिशिष्ट-15 का चेक मेमो साथ रखें**
> चेक मेमो (24 मदें) आयोग का अपना प्रपत्र है — अपनी सूची न बनाएँ, इसे लेमिनेट कराकर साथ रखें। ⚠️ इस पुस्तिका में उसका पृष्ठ नहीं है (अनुक्रमणिका के क्रम 26 पर उल्लेख है) — मार्गदर्शिका मु.पृ. 123 से अलग से लें।
> चेक मेमो की अपनी चेतावनी हर सत्र में दोहराएँ — "अपनी स्मरण शक्ति और पूर्व अनुभवों पर कदापि निर्भर न रहें" (परिशिष्ट-14)।

जो अभी तय नहीं है — कक्षा में इन पर उत्तर न दें

नया

प्रश्न	स्थिति	क्या करें
E-12 का विहित प्रारूप	पढ़े गए किसी स्रोत में नहीं मिला	जिला/RO द्वारा दिया गया प्रपत्र भरें; प्रारूप का दावा न करें
प्ररूप 15 बनाम 15-क का अंतिम भेद	आयोग की मूल प्रति से मिलान शेष — अपुष्ट	RO से पुष्टि कराएँ; "अंतिम" कहकर न पढ़ाएँ
"3 बजे बाद रिलीफ अभिकर्ता नहीं"	नियमों में आधार नहीं मिला	वैध प्ररूप-9 धारक को न रोकें; DEO से स्पष्टीकरण
पोस्टल-बैलेट धारक को रोका — 14-ग की किस मद में?	मद 3 व मद 4 दोनों की परिभाषा में नहीं बैठता	RO/DEO से पूछें; नमूने में यह उदाहरण न रखें
डायरी मद 11(2) 985 ↔ 11(3) 960 का 25 का अंतर	काल्पनिक नमूने की असंगति; कारण अज्ञात	"सही अंक" न बताएँ; केवल यह कहें कि पंक्तियाँ आपस में नहीं मिलतीं

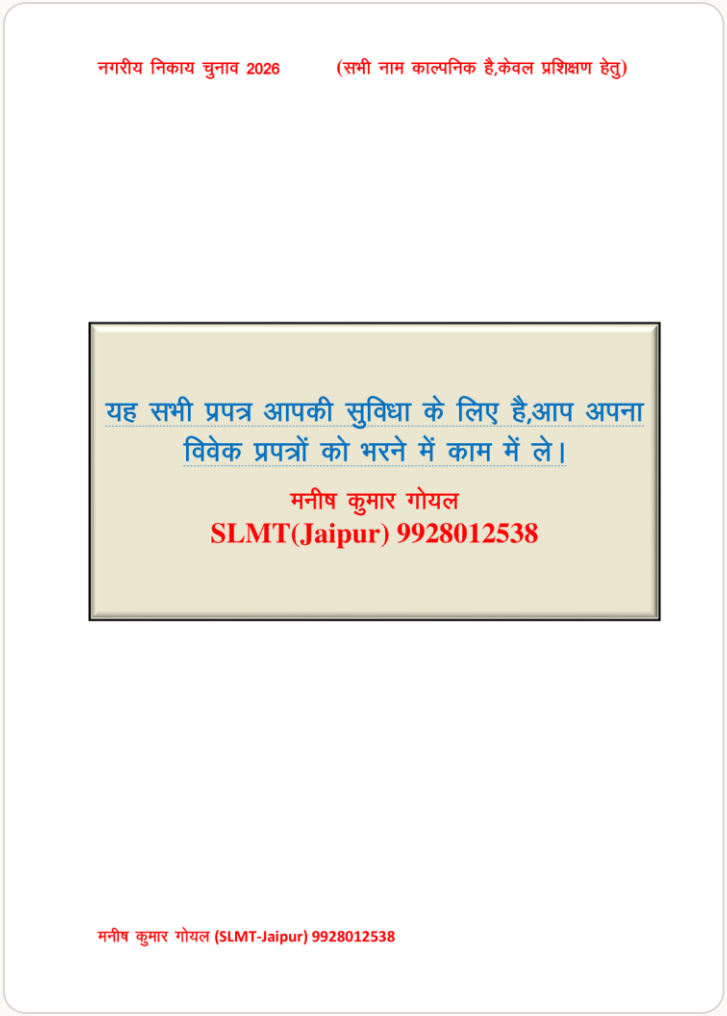
प्रशिक्षक के लिए एक नियम

"मुझे नहीं मालूम, यह RO/DEO से पूछकर बताऊँगा" — यह उत्तर 09 एवं 11 सितम्बर 2026 को गलत निर्देश देने से हर बार बेहतर है। अनुमान से भरा गया प्रपत्र RO के यहाँ पकड़ा जाएगा और सीलबंद पैकेट फिर खोला नहीं जा सकेगा।

स्रोत: notes_forms.md §अनुपस्थितियाँ/UNCERTAIN; DEO प्रश्न ब2; FORMS_MODULE_hi §4.3

अंतिम पृष्ठ — "अपना विवेक प्रपत्रों को भरने में काम में लें"

पूरक



मूल पुस्तिका का समापन-पृष्ठ (मनीष कुमार गोयल, SLMT-जयपुर)

- **पुस्तिका का अपना दावा** — "यह सभी प्रपत्र आपकी सुविधा के लिए हैं" — अर्थात् यह प्रशिक्षण-सामग्री है, विहित प्रपत्रों का स्थान नहीं लेती।
- **शासी क्रम** — नियम 1994 → आयोग के आदेश → मार्गदर्शिका → यह पुस्तिका। टकराव हो तो ऊपर वाला जीतेगा।
- **सभी अंक काल्पनिक** — पावटा, वार्ड 21, केन्द्र 122 — पहले पृष्ठ पर ही लिखा है "सभी नाम काल्पनिक हैं, केवल प्रशिक्षण हेतु"; और कई अंक आपस में नहीं मिलते।
- **इस संस्करण के 8 सुधार-पृष्ठ** — पृ. 2, 9, 10, 16, 23, 31, 34, 35, 36 — इन्हें हटाएँ नहीं, अभ्यास बनाएँ; कक्षा स्वयं दोष पकड़े, यही सबसे टिकाऊ प्रशिक्षण है।
- **अंतिम चेतावनी** — "अपनी स्मरण शक्ति और पूर्व अनुभवों पर कदापि निर्भर न रहें" — परिशिष्ट-14।

स्रोत: मूल पुस्तिका पृ. 40; मार्गदर्शिका परिशिष्ट-14 की चेतावनी